स्थापना : 1997 - संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -15 ■ अंक - 358 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 1 से 15 अप्रैल 2017 ■ पेज - 8 ■ मूल्य 5 रु.

माफिया यूनियन का दुष्टतापूर्ण प्रतिशोध

सुरेश त्रिपाठी

- यूनियन के धनबल के समक्ष रेल प्रशासन किंकर्तव्यविमूढ़
- जोनल संगठनों से रिटायर्ड रेलकर्मी/पदाधिकारी हटाए जाएं
- यूनियनों के ब्लैकमेल से रेल प्रशासन को अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा

भारतीय रेल में कोई यूनियन इस हद तक कैसे मनबढ़ हो सकती है कि उसके सामने पूरा रेल प्रशासन नतमस्तक और किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाए? उसके मन-मुताबिक उस जोन में उसकी पसंद का महाप्रबंधक और अन्य विभाग प्रमुखों की पोस्टिंग हो, उसके कहे अनुसार रेलवे के निर्धारित नियमों में न सिर्फ फेरबदल किया जाए, बल्कि उसके बताए अनुसार नियम बनाए जाएं. और यदि उसके यह नियम कोई अधिकारी मानने से इंकार कर दे, या वह रेलवे के निर्धारित नियमों के

अनुसार काम करना चाहे, तो उसे यूनियन द्वारा न सिर्फ परेशान और प्रताड़ित किया जाए, बल्कि चरित्रहनन करके ब्लैकमेल करने की तमाम अनुचित कोशिशों सहित उसे जान से मारने की धमकी देकर अपने अनुसार काम करने के लिए विवश किया जाए. और यदि इस सबसे भी उक्त अधिकारी से पार न पाया जा सके, तो उसके विरुद्ध अपने धनबल की बदौलत कानून का दुरुपयोग करते हुए किसी भी तरह से अपना वर्चश्व स्थापित करके रखा जाए.

शेष पेज 4 पर...

RPF/RPSF स्टाफ को मिला रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ

लम्बे इंतजार के बाद नसीब हुई आरपीएफ स्टाफ को थोड़ी खुशी

मुंबई : डीजी/आरपीएफ द्वारा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) स्टाफ को रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ दिए जाने संबंधी आदेश सोमवार, 27 मार्च को जारी किए जाने से आरपीएफ स्टाफ में भारी खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है. ज्ञातव्य है कि इस आदेश की प्रतीक्षा आरपीएफ स्टाफ को काफी लम्बे समय से थी. गत सप्ताह पहले रेलमंत्री और बाद में मेंबर स्टाफ द्वारा तत्संबंधी फाइल क्लियर कर दिए जाने से आरपीएफ स्टाफ को बड़ी बेसब्री से इस आदेश का इंतजार था. हालांकि यह स्टाफ रिस्ट्रक्चरिंग वर्ष 2013 से प्रतीक्षित थी और न्याय के हित में इसे तभी से लागू किया जाना चाहिए था. मगर इसे 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया है, जिस से आरपीएफ/आरपीएसएफ स्टाफ को थोड़ी निराशा भी हुई है. तथापि, कुछ न मिलने से कुछ मिल जाने पर ही खुशी मना रहा आरपीएफ स्टाफ पिछले करीब पंद्रह वर्षों से रेल

शेष पेज 7 पर...

पहले लंबे समय से एक ही पद पर जमे कैटरिंग अधिकारियों को हटाओ प्रभु !!

- 'बंदर न्याय' के चलते कभी नहीं सुधरेगी रेलवे की खानपान या प्रशासनिक व्यवस्था
- फैक्ट फाइंडिंग/जांच के बिना अखबारी खबरों पर रेलमंत्री का संज्ञान कहां तक उचित?
- रेलवे की कामकाजी छवि सुधरने हेतु रेलमंत्री 'रेलवे समाचार' की खबरों का संज्ञान लें

नई दिल्ली/आसनसोल : 28 मार्च को नई दिल्ली से निकली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में खानपान की गड़बड़ी की शिकायत हुई और कहा गया कि खराब खाने से कुछ यात्री बीमार भी पड़ गए. इससे मीडिया में बड़ा हंगामा हुआ और एक बार फिर रेलवे की खानपान सेवा पर सवाल उठाए गए. इससे पुनः रेलवे की भारी किरकरी हुई है. इस घटना की जांच और असली तथ्यों का पता लगाए बिना ही सिर्फ अखबारों में छपी खबरों के आधार पर रेलमंत्री ने न सिर्फ संसद में बयान दिया, बल्कि संबंधित कैटरिंग कांट्रेक्टर का कांट्रेक्ट रद्द करने का नोटिस दिए जाने सहित उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाए जाने की बात कही.

रेलवे खानपान और आपूर्ति में भयानक गड़बड़ियां हैं. इनकी लगातार शिकायतें आती रहती हैं. ट्विटर, फेसबुक आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रेलमंत्री ने शिकायतों का जो भानुमती का पिटारा खोल रखा है, उस पर आने वाली तत्संबंधी तमाम शिकायतों को देखकर यह कहा जा सकता है कि रेलमंत्री को

शेष पेज 7 पर...

यात्री सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और रेलवे की विश्वसनीयता में वृद्धि

- रेलकर्मियों की समस्याओं का समाधान और सेवा संबंधी सुविधाओं को तत्परतापूर्वक किया जाए
- मेंबर स्टाफ द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक, चिकित्सा एवं सुरक्षा विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के महाप्रबंधक सभाकक्ष में सोमवार, 20 मार्च को कार्मिक, चिकित्सा एवं सुरक्षा विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक के दौरान सम्बंधित विभागों के अधिकारियों और पूर्वोत्तर रेलवे के सभी विभाग प्रमुखों को संबोधित करते हुए मेंबर स्टाफ/ट्रैक्शन, रेलवे बोर्ड प्रदीप कुमार. उनके साथ हैं बाएं महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे राजीव मिश्र एवं दाएं अपर महाप्रबंधक योगेश अस्थाना.

गोरखपुर ब्यूरो : मेंबर स्टाफ एवं मेंबर ट्रैक्शन, रेलवे बोर्ड एवं पदेन सचिव, भारत सरकार प्रदीप कुमार ने सोमवार, 20 मार्च को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र, अपर महाप्रबंधक योगेश अस्थाना एवं पूर्वोत्तर रेलवे के सभी विभाग प्रमुखों के साथ महाप्रबंधक सभाकक्ष, गोरखपुर में आयोजित एक बैठक में पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक, चिकित्सा एवं सुरक्षा विभागों के कार्यकलापों की गहन समीक्षा की.

बैठक को संबोधित करते हुए मेंबर स्टाफ प्रदीप कुमार ने पूर्वोत्तर रेलवे की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे यात्री सुविधाओं में विस्तार एवं रेल परिवहन हेतु अपेक्षित आधारभूत ढांचे के विकास के क्षेत्र में निरंतर सराहनीय कार्य कर रहा है. इसके फलस्वरूप यात्री सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही रेल परिवहन की विश्वसनीयता में वृद्धि हो रही है.

मेंबर स्टाफ प्रदीप कुमार, जो कि मेंबर ट्रैक्शन का भी अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं, ने कहा कि भारतीय रेल विकास के नए दौर से गुजर रही है और समस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अभिनव कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कार्मिक, चिकित्सा एवं

शेष पेज 7 पर...

-प्रदीप कुमार

उ.म.रे. महिला कल्याण संगठन द्वारा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का संदेश

इलाहाबाद : हमारे देश में 2011 की जन-गणना के अनुसार 1000 पुरूषों पर 940 महिलाओं का अनुपात है. महिलाओं की संख्या को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरूआत की थी. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सभी को कन्या के जन्म पर उत्सव मनाना चाहिए तथा बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व करना चाहिए. उन्होंने बेटी के जन्म पर पांच पेड़ लगाने का अनुरोध करते हुए यह भी कहा था कि 'बेटा-बेटी एक समान' मानते हुए हम सभी को बेटियों और बेटों को बराबर का दर्जा देना चाहिए. बेटियां पराया धन हैं. यह सोच मन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि बेटियां आज के दौर में हर क्षेत्र में आगे हैं.

प्रधानमंत्री ने तब यह भी कहा था कि लड़कियों और महिलाओं को कम महत्ता देने से धरती पर मानव समाज खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अगर महिलाएं नहीं, तो जन्म नहीं, लगातार प्रति लड़कों पर गिरते लड़कियों के अनुपात को रोकने एवं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई है.

बेटियों की रक्षा एवं सम्मान हेतु नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन की तरफ से समाज को जागरूक करने हेतु बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए पौधारोपण के माध्यम से एक अनोखी पहल की शुरूआत की गई. इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संदेश 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' को चरितार्थ करते हुए उत्तर मध्य रेलवे, महिला कल्याण संगठन, इलाहाबाद की ओर से गुरुवार, 30 मार्च को डीएसए ग्राउंड पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती तनुजा पंकज, सचिव श्रीमती साधना गुप्ता, संयुक्त सचिव श्रीमती प्रीति मिश्रा, कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा पांडेय तथा श्रीमती शुभि गुप्ता, श्रीमती नीलम अग्रवाल, युसरा सईद ने वृक्षारोपण के माध्यम से बेटी-बचाओ, बेटी पढाओं का संदेश दिया. इस अवसर पर मंडल अभियंता (संपदा) आई. पी. एस. यादव, हरेन्द्र सिंह तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.

'अग्रवाल समाज कल्याण' ने खेली फूलों से होली

कल्याण : अग्रवाल बंधुओं के सामाजिक विकास के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था 'अग्रवाल समाज कल्याण' ने प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी रविवार, 19 मार्च को राजस्थान भवन, पारनाका, कल्याण में होली स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया. इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष रामरतन गोयल एवं संस्थापक सदस्य मदन गोपाल गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की. उनके साथ अग्रवाल समाज कल्याण के सचिव अनिल कुमार गर्ग भी उपस्थित थे.

इस मौके पर मुस्कान एंड म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं एवं पुरुषों ने जमकर होली-नृत्य किया और सभी ने होली खेलते हुए एक-दूसरे पर पुष्पों की वर्षा की. इस अवसर पर पिंकी द्वारा किए गए घुमड़ डांस की सभी ने सरहाना की. कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उद्योगपति एवं समाजसेवी महेश अग्रवाल, दिनेश खेतान, नवीन बंसल, प्रदीप रुंगटा, दामोदर अग्रवाल, पी. डी. सराफ, संजय अग्रवाल, नगरसेविका रजनी मिरकुटे के अलावा इस होली मिलन समारोह में शाहपुर, कसारा, टिटवाला, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, कल्याण के सैकड़ों की संख्या में लोग ने भाग लिया. कार्यक्रम को सफल बनाने में नितिन अग्रवाल, आत्माराम डिडवानिया, रजनीश अग्रवाल, राजेश मित्तल, राजीव गुप्ता, जीतेन्द्र गुप्ता, वी. पी. मित्तल, योगेश गर्ग और डी. पी. अग्रवाल का विशेष सहयोग और सराहनीय योगदान रहा.

हमें अपने कार्य में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी -राजीव मिश्र

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र की अध्यक्षता में क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 28 मार्च को महाप्रबंधक सभाकक्ष, गोरखपुर में संपन्न हुई. बैठक में अपर महाप्रबंधक योगेश अस्थाना, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ए. के. सिंह, सभी विभाग प्रमुख, तीनों मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधक तथा राजभाषा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.

बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे की कार्य संस्कृति हिंदीमय हो गई है. उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर जैसे तकनीकी क्षेत्र में भी गूगल वायस एवं यूनिकोड के माध्यम से हिंदी प्रयोग के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे ने एक नया आयाम जोड़ा है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के लिए यह गौरव की बात है कि अखिल रेल हिंदी प्रतियोगिताओं को गोरखपुर में आयोजित करके राजभाषा विभाग ने इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया. इस संबंध में रेलवे बोर्ड से प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है. मुख्य कारखाना प्रबंधक बी. एस. दोहरे को रेलवे बोर्ड स्तर पर राजभाषा पदक से सम्मानित होने के लिए महाप्रबंधक ने उन्हें बधाई दी.

महाप्रबंधक ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे हिंदी प्रगति के क्षेत्र में जिस शिखर पर पहुंच चुकी है, उसे बनाए रखने की जरूरत है. इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने कार्य में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी और किए जा रहे कार्यों को चिन्हित करते हुए बेवसाइट पर डालना होगा. उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर रेलवे पर क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न

रेलवे पर क्रियाशील पुस्तकालयों में अच्छे लेखकों की पुस्तकें रखी जाएं, जिससे कर्मचारियों की पुस्तकों के प्रति अभिरूचि बढ़ेगी, साथ ही पाठक सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होगी. इसके पूर्व, महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों का स्वागत करते हुए मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ए. के. सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा प्रयोग की प्रगति में अन्य रेलवे की तुलना में सर्वोच्च स्थान पर है. इस रेलवे पर वरिष्ठ अधिकारी तथा निचले स्तर के कर्मचारी राजभाषा प्रयोग के प्रति जागरूक हैं. उन्होंने कहा कि इस रेलवे पर सभी अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट हिंदी में जारी कर रहे हैं, वहीं निचले स्तर पर प्रारम्भ होने वाली फाइलों पर नोटिंग हिंदी में प्रस्तुत की जा रही हैं.

बैठक का संचालन करते हुए उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एम. एन. दुबे ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त के प्रमुख निर्णयों की अनुपालन स्थिति से सदस्यों को अवगत कराया. श्री दुबे ने राजभाषा प्रयोग-प्रसार हेतु रेलवे बोर्ड की संशोधित मानक कार्यसूची पर चर्चा करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया. बैठक में सभी विभाग प्रमुख, अपर मंडल रेल प्रबंधकों तथा कारखाना प्रबंधकों ने अपने-अपने विभागों एवं मंडलों में राजभाषा प्रयोग-प्रसार की स्थिति से महाप्रबंधक को अवगत कराया. वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी वी. डुंगडुंग ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा राजभाषा अधिकारी ध्रुव कुमार श्रीवास्तव ने बैठक का समन्वय किया.

मेट्रो रेलवे कोलकाता द्वारा

'सतर्कता जागरूकता कार्यशाला' का आयोजन

कोलकाता : मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा 30 मार्च को मेट्रो भवन में 'सतर्कता जागरूकता कार्यशाला-2017' का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य दैनंदिन कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना था. इस कार्यशाला में मेट्रो रेलवे, कोलकाता के सभी विभागों में संवेदनशील पदों पर कार्यरत और विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया. जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के दौरान किस प्रकार दैनंदिन कामकाज में पारदर्शिता को बनाए रखा जाए, इस संदर्भ में डिप्टी चीफ विजिलेंस अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया.

स्क्रैप निस्तारण के क्षेत्र में उत्तर मध्य रेलवे का उत्कृष्ट प्रदर्शन

इलाहाबाद : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्क्रैप निस्तारण के क्षेत्र में उत्तर मध्य रेलवे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. वर्ष 2016-17 में उत्तर मध्य रेलवे ने न सिर्फ रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए 150 करोड़ रु. के लक्ष्य को पार कर लिया, बल्कि कुल 156.94 करोड़ रु. के स्क्रैप का निस्तारण किया है. स्क्रैप मदों का निस्तारण 'स्वच्छ भारत अभियान' की दिशा में प्रगतिशील कदम रहा है. इस परिप्रेक्ष्य में यह बताया गया कि स्क्रैप/अनचाहे मदों के एकत्रीकरण एवं निस्तारण के लिए इसी ऊर्जा के साथ भविष्य में भी प्रयास जारी रहेगा.

रघुपति राघव राजाराम, पतित हो गए राजाराम !!

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे का आरपीएफ स्टाफ अपने डीआईजी/इंचार्ज सीएससी राजाराम की ऊटपटांग गतिविधियों और शोषण से आजिज आकर आजकल 'रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम' की बजाय 'रघुपति राघव राजाराम, पतित हो गए राजाराम' की धुन गा रहा है और अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को कोस रहा है कि उसे ऐसे पतित अधिकारी के नीचे काम करना पड़ रहा है.

प्रताड़ित आरपीएफ स्टाफ का कहना है कि किसी भी आरपीएफ स्टाफ को उसके गृह नगर से न्यूनतम 100 किमी. के दायरे से बाहर ही पोस्टिंग दिए जाने का नियम है. जबकि इस पर भी प्रशासन द्वारा पूरी तरह से अमल नहीं किया जाता है. यही नियम सभी आरपीएफ अधिकारियों पर भी लागू होता है. परंतु इसे रेलवे बोर्ड ने राजाराम पर क्यों नहीं लागू किया, यह उनकी समझ से परे है.

उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे के वर्तमान डीआईजी राजाराम का गृह नगर देवरिया है, जो कि गोरखपुर से मात्र 50-55 किमी. की दूरी पर है. जबकि गोरखपुर में राजाराम की ससुराल है. इसके अलावा उनकी तमाम रिश्तेदारी गोरखपुर से लेकर देवरिया, वाराणसी सहित पूरे पूर्वोत्तर रेलवे परिक्षेत्र में ही फैली हुई है. ऐसे में रेलवे बोर्ड, सुरक्षा निदेशालय ने क्या सोचकर राजाराम की पोस्टिंग पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में की है, यह विचार करने वाली बात है.

आरपीएफ स्टाफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजाराम जब भी कहीं जाते हैं, तो उनके पीछे एक एस्कार्ट पार्टी एक अलग जीप में चलती है, जिसमें हथियारबंद एक इंस्पेक्टर और चार सिपाही होते हैं. इस प्रकार उन्होंने गोरखपुर यानि अपनी ससराल में अपना रुतबा बखूबी बुलंद किया हुआ है. इसके अलावा वह जब तब सैलून लेकर गोंडा, वाराणसी, लखनऊ और खासतौर पर देवरिया जाते रहते हैं. यदि सैलून के उनके रौबदार इस्तेमाल को देखा जाए, तो उसमें भी न सिर्फ उनके साथ उनकी एस्कार्ट पार्टी होती है, बल्कि पूर्वोत्तर रेलवे में अब तक शायद सबसे ज्यादा सैलून का उपयोग भी राजाराम ने ही किया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस दिशा में राजाराम का सैलून जाता है, उस दिशा के सभी आरपीएफ इंस्पेक्टर्स को इस बात की पहले ही सूचना दे दी जाती है कि उन्हें बढ़िया विदेशी स्कॉच दारू और खाने में मुर्ग-मुसल्लम का इंतजाम करना है. बताते हैं कि सैलून लेकर अक्सर लखनऊ और देवरिया के फर्जी दौरों पर जाने वाले राजाराम सैलून में अपने कई-कई रिश्तेदारों को भी साथ लेकर जाते हैं. उन सबको बढ़िया स्कॉच व्हिस्की और मुर्ग-मुसल्लम की दावत देकर अपने रिश्तेदारों को खूब प्रभावित करते हैं.

पता चला है कि पूर्वोत्तर रेलवे में जब से राजाराम की पोस्टिंग हुई है, तब से लगभग हर पोस्ट का इंस्पेक्टर उनके रिश्तेदारों की हनक से परेशान है. कई इंस्पेक्टर्स का कहना है कि अपने को राजाराम का रिश्तेदार बताकर अक्सर छोटी-छोटी चीजों के लिए वह पोस्ट पर आकर बैठ जाते हैं. कई बार उन्हें टिकट भी निकालकर देना पड़ता है, जिसका पैसा लेना या मांगना उनके लिए नई मुसीबत पैदा कर सकता है. जहां स्टाफ की कमी के चलते ट्रेन एस्कार्टिंग पार्टी के स्टाफ को समय पर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, वहीं राजाराम द्वारा आरपीएफ स्टाफ को गांव-गांव और पंचायत-दर-पंचायत दौड़ाया जाता है.

आरपीएफ एसोसिएशन कभी-भी किसी आरपीएफ अधिकारी या स्टाफ की उसके मन-मुताबिक पोस्टिंग की सिफारिश

- डीआईजी/आरपीएफ राजाराम को क्यों चाहिए ससुराल में ही पोस्टिंग?
- पोस्टिंग में 100 किमी. की दूरी का नियम राजाराम पर लागू क्यों नहीं?
- पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में अपनी होम पोस्टिंग का दुरुपयोग कर रहे राजाराम
- ससुराल में ही चाहिए राजाराम को आईजी/सीएससी/आरपीएफ पद पर प्रमोशन

नहीं करती है, राजाराम की भी नहीं की थी, मगर राजाराम आरपीएफ एसोसिएशन की पैधरनी इसलिए कर रहे थे कि कहीं आरपीएफ एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे में उनकी पोस्टिंग का विरोध न कर दे. परंतु अब वही राजाराम आरपीएफ स्टाफ का भरपूर शोषण करते हुए अपने ससुरालियों पर रौब गांठते हथियारबंद पार्टी लेकर चल रहे हैं.

आरपीएफ स्टाफ से प्राप्त जानकरी के अनुसार आरपीएफ स्टाफ का हर तरह से शोषण और उत्पीड़न करने वाले डीआईजी राजाराम ने हाल ही में क्राइम मीटिंग बुलाई थी. बताते हैं कि इस क्राइम मीटिंग में पूरी पूर्वोत्तर रेलवे से करीब सवा सौ आरपीएफ इंस्पेक्टर्स ने भाग लिया था. बताया जाता है कि महाप्रबंधक की विदाई के बहाने राजाराम ने प्रत्येक आरपीएफ इंस्पेक्टर से 10-10 हजार रुपए का कलेक्शन किया. हालांकि कुछ इंस्पेक्टर्स का यह भी कहना है कि सभी इंस्पेक्टर्स ने यह कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, मगर मीटिंग में शामिल हुए अधिकांश आरपीएफ इंस्पेक्टर्स ने इसमें अपना योगदान किया है. इस तरह इंस्पेक्टर्स से कलेक्शन से राजाराम ने महाप्रबंधक को भव्य विदाई देकर पूर्वोत्तर रेलवे में ही आईजी/सीएससी के पद पर अपने प्रमोशन का एक पुख्ता प्रयास किया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार डीआईजी राजाराम के आदेशनुसार 3 मार्च को देवरिया के उनके एक परिचित के बेटे की बारात को हथियारबंद एक इंस्पेक्टर सहित चार सिपाहियों ने देवरिया से कानपुर तक एस्कार्ट किया था. वापसी में भी 6 मार्च को इसी तरह उसकी बारात को कानपुर से देवरिया तक एस्कार्ट किया गया था. इसके अलावा राजाराम के संदेश पर उत्तर रेलवे की आरपीएफ एस्कार्ट पार्टी द्वारा उक्त बारात को कानपुर से पानीपत तक एवं वापसी में एस्कार्ट मुहैया कराया गया था. इस पर 'रेलवे समाचार' द्वारा पूछे जाने पर राजाराम का कहना है कि उनकी ड्यूटी सुरक्षा मुहैया कराना है, जो भी व्यक्ति उनसे सुरक्षा की मांग करेगा, उसे वह सुरक्षा मुहैया कराएंगे. उन्होंने खुद ही इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने एक रेल अधिकारी के बेटे की बारात को भी एस्कार्ट पार्टी मुहैया कराई थी. राजाराम की यह स्वीकारोक्ति कितनी नियम-संगत है, यह आरपीएफ निदेशालय को तय करना है.

इस बातचीत में राजाराम ने यह भी बताया कि उन्हें अपने साथ हथियारबंद एस्कार्ट पार्टी लेकर चलने के लिए डीजी/आरपीएफ का आदेश प्राप्त है. इसके अलावा जब उनसे यह पूछा गया कि जिस इंस्पेक्टर रासिद बेग को गंभीर शिकायत पर इज्जतनगर से हटाया गया था, उसे उन्होंने वहीं पर पुनः कैसे पदस्थ कर दिया. इस पर पूरी हड़बड़ी के साथ उनका कहना था कि उन्हें पहले इसकी जानकारी नहीं थी, अब जानकारी मिलने के बाद उसे रोक दिया गया है, क्योंकि उक्त इंस्पेक्टर ने अब तक वहां ज्वाइन नहीं किया है. उनकी हड़बड़ी से जाहिर है कि सवाल पूछे जाने पर ही उन्होंने उक्त निर्णय तत्काल लिया है.

इसके अलावा पता चला है कि डीआईजी राजाराम अब गोरखपुर में ही अपने आईजी के प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं. ज्ञातव्य है कि उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की आईजी की पोस्ट डाउनग्रेड कर दिए जाने से उक्त एलीमेंट फिलहाल स्पेयर चल रहा है. राजाराम की कोशिश है कि उक्त एलीमेंट को पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रांसफर करके उनका प्रमोशन गोरखपुर में ही कर दिया जाए. उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे के आईजी का एलीमेंट रेलवे बोर्ड में ट्रांसफर करके उस पर पी. के. अग्रवाल को आईजी/एडमिन बनाया गया है.

ऐसे में या तो उत्तर पश्चिम रेलवे का एलीमेंट रेलवे बोर्ड में और पूर्वोत्तर रेलवे का एलीमेंट पुनः पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रांसफर किया जाए, तभी यह युक्तिसंगत हो सकता है. परंतु जब किसी भी आरपीएफ स्टाफ को उसके गृह नगर से 100 किमी. के दायरे में पोस्टिंग नहीं दिए जाने का नियम मौजूद है, तब राजाराम को उनके गृह नगर से 100 किमी. के अंदर और उनकी ससुराल में पोस्टिंग और प्रमोशन क्यों दिया जाना चाहिए? और पहले भी क्यों दिया गया? इस पर रेलवे बोर्ड सुरक्षा निदेशालय को विचार करना चाहिए.

जीवेत् शरदः शतम् : 75 वर्षीय हुए कॉम. जे. आर. भोसले

मुंबई : जयवंत रामचंद्र भोसले उर्फ जे. आर. भोसले 1 मार्च 2017 को 75 साल के हो गए. इस अवसर पर ग्रांट रोड स्थित कॉम. जगदीश अजमेरा सभागृह में उनके सहयोगियों कॉम. विकास गुप्ते और कॉम. आर. सी. शर्मा आदि द्वारा एक भव्य हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया. कॉम. जे. आर. भोसले एक कर्मठ और लगातार संघर्षशील रहने वाले यूनियन लीडर हैं. कॉम. भोसले का जन्म दिवाड़ गांव, जिला सातारा, महाराष्ट्र के एक किसान परिवार में 1 मार्च, 1942 को तब हुआ था, जब देश में आजादी के लिए महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था. शायद यही वजह है कि कॉम. भोसले के स्वभाव में हमेशा ही एक सत्याग्रह और चेहरे पर स्मित मुस्कान रहती है, जो कि उनकी अच्छी सेहत का सबसे बड़ा राज है.

स्वभावगत सत्याग्रह के चलते ही उन्होंने 12 अगस्त 1963 में कर्नाक बंदर में जिस दिन बतौर गुड्स क्लर्क रेलवे ज्वाइन किया, उसी दिन से वह एक यूनियन कार्यकर्ता भी बन गए थे. मात्र दस वर्ष की नौकरी होते हुए भी 8 मई 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल में कॉम. भोसले ने सक्रिय भाग लिया. वर्तमान में वह वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (डब्ल्यूआरईयू) के महामंत्री हैं. इसके अलावा वह मणिबेन कारा फाउंडेशन के प्रबंध ट्रस्टी, वर्ष 1990 से डिपार्टमेंटल काउंसिल (रेलवे) के सदस्य, वर्ष 1999 से एचएमएस और वर्ष 2001 से एआईआरएफ के कोषाध्यक्ष हैं. वर्ष 2005 से अब तक आईटीयूसी के निर्वाचित आर्तरिक लेखा परीक्षक होने के साथ ही वर्ष 2008 में कॉम. भोसले को इंडिया सिक्योरिटी प्रेस मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया. इसके साथ ही कॉम. भोसले नेशनल काउंसिल/जेसीएम के भी सदस्य हैं.

कॉम. भोसले काफी अध्ययन भी करते हैं, जबकि मजदूर हितों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार उनकी भाग-दौड़ लगी रहती है. इस यात्रा समय को वह मजदूर हितों के विषयों का अध्ययन करके

सदुपयोगी बनाते हैं. यही वजह रही है कि उन्होंने तीसरे वेतन आयोग से लेकर लगातार सातवें वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/रेलकर्मियों का न सिर्फ प्रतिनिधित्व किया, बल्कि सारगर्भित ज्ञापनों के माध्यम से और आयोगों के समक्ष आमने-सामने की चर्चा में भी प्रभावी रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया. उन्होंने पीएनएम, नेशनल एवं डिपार्टमेंटल काउंसिल्स, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटियों, एनामली कमेटियों आदि में भी प्रभावी तौर पर सरकारी/रेलकर्मियों का पक्ष रखा. मजदूर समस्याओं का अध्ययन एवं मजदूर विषयों पर महत्वपूर्ण संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु कॉम. भोसले ने एचएमएस, एआईआरएफ, आईटीएफ, आईटीयूसी के प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चीन, जापान, हांग-कांग, सिंगापुर सहित अन्य कई दक्षिण एशियाई देशों की यात्राएं की हैं.

इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट और खासतौर पर रेलवे ट्रेड यूनियन मूवमेंट में लगातार 45 वर्षों की निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ काम करने वाले कॉम. जे. आर. भोसले का यह संघर्ष जीवन के 75वें साल में भी उसी जोश-खरोश के साथ जारी है, जैसा वर्ष 1963 में ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के समय था. वक्ताओं ने इस अवसर पर यह भी कामना की कि उन्हें कॉम. भोसले का सौवां जन्मदिन भी इसी जगदीश अजमेरा सभागृह में मनाने के सुअवसर मिले. इस मौके पर कॉम. भोसले को 'रेलवे समाचार' ने भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.

एयर इंडिया का अनुकरणीय उदाहरण

सुरेश त्रिपाठी

देश के यात्री यातायात के क्षेत्र में सर्वथा पहली बार किसी यातायात कंपनी द्वारा अपने किसी उद्दंड यात्री की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस मामले में एयर इंडिया की सराहनीय पहल और अन्य छह एयर लाइनों का उसके समर्थन में आ जाने का अत्यंत अनुकरणीय उदाहरण भी देश में शायद पहली बार प्रस्तुत हुआ है. एयर इंडिया और अन्य एयर लाइनों के कदम को न सिर्फ मीडिया में भारी समर्थन मिला है, बल्कि देश की पूरी जनता के समर्थन और दबाव का ही नतीजा है कि अब तक संबंधित सांसद और उसकी पार्टी की तमाम हायतौबा के बावजूद सरकार या संसद ने उक्त सांसद के खिलाफ लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को उठाए जाने के लिए एयर इंडिया और अन्य एयर लाइनों को अब तक कुछ नहीं कहा है. संबंधित सांसद महोदय ने जब पुणे से दिल्ली की फ्लाईट बुक करवाई थी, तब उन्हें मालूम था कि उक्त फ्लाईट में सभी सीटें इकॉनोमी क्लास की ही हैं. तब वह विमान में पहुंचकर बिजनेस क्लास की सीट की डिमांड कैसे कर सकते थे? उन्होंने न सिर्फ विमान से उतरने से मना कर दिया, बल्कि हेकड़ी की हद यह कि उन्होंने एयर इंडिया के चीफ और उड्डयन मंत्री को उनके सामने पेश होने का हुक्म कर दिया. क्रू-मेंबर की तमाम अनुनय-विनय भी उन्होंने नहीं सुनी. अपना रुतबा और हेकड़ी दिखाने के लिए अपने बाप की उम्र के मैनेजर को चप्पलों से धुन दिया. बाद में मीडिया के सामने और ज्यादा हेकड़ी दिखाते हुए बड़े गर्व के साथ बयान किया कि उन्होंने उक्त मैनेजर को गिनकर 25 चप्पल मारी थी.

अब उनके और उनकी पार्टी द्वारा संसद और बाहर यह बयान दिया जा रहा है कि जब गुंडे-बदमाश, तस्कर, आतंकवादी और अलगाववादी हवाई यात्रा कर सकते हैं, तब देश के एक सम्मानित और निर्वाचित जन-प्रतिनिधि को हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जाना असंवैधानिक है. परंतु जब वह क्रू-मेंबर्स और 60 वर्षीय मैनेजर के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे, उन्हें चप्पलें मार रहे थे, तब वह अपना यह रुतबा भूल गए थे कि एक सांसद को सार्वजनिक तौर पर कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनकी पत्नी ने मीडिया को बयान दिया कि उनके पति ने मैनेजर को तब पीटा, जब उसने प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे. यह कितना बचकाना है कि ये सांसद और उनके परिवार वाले देश की जनता को वास्तव में मूर्ख समझते हैं? समस्त सरकारी सेवाओं और संपत्ति को अपनी बपौती मानने और समझने वाले ऐसे सांसद और तमाम छुटभैये नेता अपने ऐसे कु-कर्मों पर शर्मिंदा होने और देश से माफी मांगने के बजाय चोरी और सीनाजोरी की तर्ज पर अनर्गल तर्क प्रस्तुत करने लगते हैं. संविधान और नैतिक आचरण को अपने ऐसे दुर्व्यवहार के समय भूल जाने वाले यह नेता बाद में उसी संविधान और नैतिकता की अपने हित में दुहाई देने लगते हैं.

बहरहाल, यह विवाद जल्दी ही शांत हो जाएगा और दो बार ऐसा अनैतिक आचरण कर चुके इन सांसद महोदय का हवाई यात्रा अधिकार भी जल्दी ही बहाल हो जाएगा. तथापि उन्हें अपने इस द्वितीय सार्वजनिक दुर्व्यवहार के लिए देश की जनता और एयर इंडिया से माफी मांगी चाहिए. देश की जनता बहुत उदार है, वह यदि जितनी अज्जदी अपने नेता या सांसद पर गुस्सा हो सकती है, तो उतनी ही जल्दी उन्हें माफ भी कर सकती है. इसी संदर्भ में भारतीय रेल को भी अपनी और अपने ऑन बोर्ड स्टाफ की गरिमा की सुधि लेनी चाहिए. भारतीय रेल तो इस मामले में 'गांव भर की भौजाई' बन चुकी है. जहां आए दिन ऑन बोर्ड स्टाफ के साथ कोई न कोई यात्री, और सबसे ज्यादा सांसद, विधायक और छुटभैये नेता ही भयानक और भारी अपमानजनक बदतमीजी करते हुए निकल जाते हैं. उनकी झूठी-सच्ची शिकायतों की जांच जब होती है, तब होती है, मगर स्टाफ को तो ऑन द स्पॉट मुर्गा बना दिया जाता है, जिससे वह सार्वजनिक तौर पर अपनी नौकरी की मजबूरी में कई-कई बार अपमानित होता है. जबकि व्यक्तिगत तौर पर वह किसी अपने सगे द्वारा भी की जाने वाली बदतमीजी को कभी बर्दास्त नहीं करेगा.

भारतीय रेल को भी एयर इंडिया और अन्य एयर लाइनों की तर्ज पर अपने ऑन बोर्ड स्टाफ और कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मामले में कोई न कोई न कारगर नीति अपनानी चाहिए. भारतीय रेल में उपभोक्ता और उपयोगकर्ता दोनों की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है, यह अपने आपने में सराहनीय और प्रशंसा की बात हो सकती है. परंतु उसे अपने इन सम्माननीय उपभोक्ताओं अथवा उपयोगकर्ताओं को इसका यह भी संदेश नहीं देना चाहिए कि वह उनकी किसी भी तरह की बदतमीजी को हमेशा बर्दास्त करती रहेगी. इसके साथ ही ऑन बोर्ड और कार्यालयीन स्टाफ को भी 'सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप' की कानूनी धारा का सर्वप्रथम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि तमाम कानूनी प्रक्रिया और समय की बरबादी को देखते हुए रेलवे स्टाफ इस धारा का इस्तेमाल करने से बचता है, तभी उसका कुछ हो सकता है.

माफिया यूनियन का दुष्टतापूर्ण प्रतिशोध

पेज 1 का शेष... उपरोक्त सभी हथकंडे दक्षिण रेलवे में माफिया यूनियन द्वारा एक ईमानदार अधिकारी अजीत सक्सेना, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सीसीएम) के विरुद्ध पिछले करीब दो वर्षों से अपनाए जा रहे हैं. दक्षिण रेलवे में इस यूनियन की दहशतगर्दी का यह आलम है कि वहां किसी अधिकारी या कर्मचारी में इसके विरुद्ध जाने अथवा कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है. यूनियन की इस दहशतगर्दी के चलते कई अधिकारी उसके सामने नतमस्तक होकर उसके कहे अनुसार सरकारी कामकाज करते हैं. उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यूनियन को गलत काम के लिए मना कर सकें. इसके चलते यूनियन के सामने सरेंडर करके कई अधिकारी उसके पे-रोल पर भी रहते हैं?

दूसरी तरफ सीसीएम अजीत सक्सेना ने यूनियन के नियम मानने से इंकार कर दिया था और रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार ही रेलवे का कामकाज करने को अपनी कार्य-प्रणाली निर्धारित किया था. इसी वजह से यूनियन के दबाव में हटाए गए चेन्नई मंडल के सीनियर डीसीएम को उन्होंने सीसीएम बनते ही सर्वप्रथम पुनर्स्थापित किया था. इसके बाद रेलकर्मी होकर रेलवे के बजाय यूनियन के लिए काम करने वाले तमाम वाणिज्य स्टाफ को उन्होंने पीरियोडिकल ट्रांसफर में दर-बदर किया था, जो कि पिछले पचीसों वर्षों से एक ही जगह, एक ही रूट में कार्यरत था. उन्होंने रोस्टर प्रणाली को पुनर्स्थापित किया, जिसके बारे में दक्षिण रेलवे में शायद किसी को पता भी नहीं था कि यह रोस्टर प्रणाली होती क्या चीज है, क्योंकि नौकरी में आने से लेकर अब तक उक्त स्टाफ यूनियन के कहे अनुसार मनमानी काम कर रहा था और रेलवे की तिजोरी के लिए काम करने के बजाय यूनियन की और अपनी तिजोरी भर रहा था. घर बैठे फ़ोकट का टीए-डीए बनाकर रेलवे को करोड़ों का चूना लगा रहा था. टिकट काउंटरों पर अपनी जगह बाहरी लोगों को बैठाकर और टिकट चेकिंग के लिए गाड़ियों में अपनी जगह दूसरों को भेजकर कमीशनखोरी कर रहा था. अंडर ट्रांसफर और सिक-लीव पर होकर भी अनधिकृत रूप से टिकट चेकिंग करके अपनी और यूनियन की जेबें भर रहा था.

यूनियन और स्टाफ की उपरोक्त तमाम अवैध गतिविधियों एवं अनियमितताओं के मद्देनजर रेलवे को हो रहे करोड़ों रुपए के मासिक नुकसान को देखकर सीसीएम अजीत सक्सेना की रूह काँप उठी. उन्होंने इस अंधेरगर्दी पर लगाम लगाने और यूनियन एवं स्टाफ को रेलवे के नियमानुसार काम करने के लिए तत्पर करने की ठान ली. उन्होंने सबसे पहले यूनियन की ट्रांसफर पालिसी मानने से इंकार कर दिया. यूनियन की ट्रांसफर पालिसी यह थी कि एक स्टाफ को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म में अथवा एक टेबल से दूसरी टेबल पर ट्रांसफर कर दिया जाए. रोस्टर पद्धति लागू नहीं की जाए. उन्होंने उन 40-45 वाणिज्य कर्मियों का चेन्नई से बाहर अन्य स्टेशनों पर ट्रांसफर कर दिया, जिन्होंने अंडर ट्रांसफर या सिक लीव में रहते हुए अनधिकृत रूप से ईएफटी लेकर अवैध रूप से यात्रियों से वसूली की थी. तमाम धनबल के बावजूद अब तक इस मामले में अदालत से यूनियन को उचित सफलता नहीं मिल पाई है. जबकि इन सभी वाणिज्य कर्मियों का यह मामला अब सीबीआई की जांच के अधीन है.

इस दरम्यान खिसियानी बिल्ली की तरह यूनियन के लोगों ने तिरुचिरापल्ली, मदुरै और चेन्नई सहित कई स्थानों पर रेलकर्मियों के साथ हाथापाई, मारपीट और गाली-गलौज किया. तिरुचिरापल्ली मंडल के सीनियर डीसीएम के चेंबर में अनधिकृत रूप से जबरन घुसकर और अंदर से दरवाजा बंद करके यूनियन पदाधिकारियों ने सीनियर डीसीएम के साथ मारपीट की. वर्कशॉप के एक कर्मचारी द्वारा दो हजार रुपए का डोनेशन नहीं दिए जाने पर उसे यूनियन कार्यालय में बुलाकर यूनियन पदाधिकारियों ने उसको बुरी तरह पीटा. दोनों मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज हुईं, मगर धनबल की बदौलत अब तक पुलिस ने इन मामलों में यूनियन पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई उचित कानूनी कदम नहीं उठाया है.

यूनियन ने अजीत सक्सेना को भी प्रताड़ित करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी. उनका चरित्रहनन करने की कुत्सित कोशिश के रूप में सर्वप्रथम कुछ महिला कर्मियों और एक महिला पदाधिकारी को आगे करके जबरन उनके चेंबर में घुसा दिया. महिलाओं ने चेंबर का दरवाजा अंदर से बंद करके वही सब त्रिया-चरित्र करने की कोशिश की, जैसा कि यूनियन के कहने पर वे इससे पहले भी कई अधिकारियों के विरुद्ध कर कर चुकी थीं. मगर समय बलवान था कि अजीत सक्सेना समय रहते अपनी मातहत एक महिला अधिकारी और सहायक स्टाफ को अपने चेंबर में बुलाने में कामयाब हो गए थे और पुलिस को कॉल किए जाने पर सभी उद्दंड महिलाएं वहां से अपना मुंह छिपाकर भाग खड़ी हुई थीं.

इस मामले में 9 महिला कर्मियों को निलंबित किया गया था. उनका निलंबन तभी वापस लिया गया, जब उनके द्वारा प्रशासन को यह लिखित में दिया गया कि उन्होंने जो कुछ भी किया, यूनियन के कहने पर किया और उन्हें दिग्भ्रमित करके सीसीएम के चेंबर में भेजा गया था. यह मामला अब तक अनसुलझा है, क्योंकि इसमें यूनियन की संबंधित महिला पदाधिकारी, जिसके नाम से यूनियन द्वारा सीसीएम अजीत सक्सेना के विरुद्ध महिलाओं के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, आज तक पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने भी नहीं प्रकट हुई है.

इसके बाद यूनियन ने सीसीएम अजीत सक्सेना के विरुद्ध रिवाल्वर लेकर चलने और कथित रूप से रिवाल्वर दिखाकर स्टाफ को धमकाने के एक दस साल पुराने मामले, जिसमें पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी, को कोर्ट के माध्यम से खुलवाया. हालांकि पुलिस ने पुनः इस मामले में तथ्यहीनता की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जिससे इस मामले में अब कोई तथ्य नहीं रह गया है. इन तमाम तिकड़मों और पैंतरों से जब यूनियन सीसीएम अजीत सक्सेना से कोई पार नहीं पा सकी, तब उसने बहुत चुपके से 28 अक्टूबर 2016 को मदुरै के एक वकील से अजीत सक्सेना के विरुद्ध सीबीआई को यह शिकायत भेजवाई कि सरकारी अधिकारी होते हुए भी अजीत सक्सेना द्वारा अवैध रूप से एक एनजीओ चलाया जा रहा है. इस शिकायत में अजीत सक्सेना पर घिनौना आरोप लगाया गया कि उक्त एनजीओ के माध्यम से छोटी-छोटी बच्चियों का शोषण और अकूत धन एकत्रित किया जा रहा है. इसके आलावा भी उक्त शिकायत में अन्य तमाम अनर्गल आरोप अजीत सक्सेना पर लगाए गए थे.

सीबीआई ने उक्त शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि रेलवे बोर्ड से उसे पता चल गया था कि अजीत सक्सेना ने उक्त एनजीओ के लिए बाकायदा रेलवे से पूर्व अनुमति ले रखी है और उसके तहत ऐसा कोई काम नहीं क्या जा रहा है, जो नियम और कानून के विरुद्ध हो. इसके बाद सीबीआई ने उक्त शिकायत को रेलवे बोर्ड के पास भेज दिया, जिसे रेलवे बोर्ड ने दाखिल दफ्तर कर दिया था. मगर जब किसी शिकायत के पीछे किसी अधिकारी और प्रशासन को ब्लैकमेल करने का इरादा छिपा हो, तो शिकायतकर्ता के पीछे लगी हुई शक्ति चुप कैसे बैठ सकती है? इसके परिणामस्वरूप उक्त कथित वकील के जरिए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के समक्ष सीबीआई को प्रतिवादी बनाते हुए चुपचाप एक रिट पिटीशन दाखिल करवाई गई, जिसमें याचिकाकर्ता वकील द्वारा कोर्ट से यह मांग की गई कि सीबीआई ने उसकी शिकायत पर उचित संज्ञान नहीं लिया, लिहाजा सीबीआई को उचित निर्देश दिया जकाए.

बहरहाल, मदुरै बेंच ने 24 नवंबर 2016 को वकील की याचिका पर सीबीआई को निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर शिकायत में उठाए गए मुद्दों की जांच करे और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे. (पढ़ें- नीचे पूरा कोर्ट ऑर्डर). तारीफ यह है कि इस रिट पिटीशन के बारे में इस दरम्यान रेल प्रशासन अथवा अजीत सक्सेना को कानोकान कोई भनक भी नहीं लगने दी गई, जबकि यूनियन को मदद करने के लिए इसकी संपूर्ण धुरी चेन्नई से एसडीजीएम और सीपीओ द्वारा घुमाई जा रही थी. इसकी जानकारी रेल प्रशासन को तब लगी, जब अजीत सक्सेना का बतौर मेंबर टेक्निकल, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में चयन हो गया और उनका पोस्टिंग ऑर्डर निकालने वाला था. तभी उक्त वकील के जरिए रेलवे बोर्ड सहित रेलमंत्री को मदुरै बेंच के ऑर्डर की प्रति सहित एक पत्र लिखवाया गया कि अजीत सक्सेना को सेमी-जुडिशियल पद पर कैसे भेजा जा सकता है, जबकि कोर्ट ने उनके विरुद्ध सीबीआई को जांच का आदेश दे रखा है.

अब तक कभी-भी अपने विवेक का इस्तेमाल न करने वाले रेलमंत्री ने बिना कोई विचार किए उक्त वकील के इस पत्र के आधार पर अजीत सक्सेना का आरसीटी में पोस्टिंग ऑर्डर रोक दिया. रेलमंत्री अथवा रेलवे बोर्ड ने यह भी नहीं देखा कि हाई कोर्ट मदुरै बेंच के ऑर्डर में रेलवे को कोई निर्देश नहीं दिया गया था. जो भी निर्देश था, वह सीबीआई को था और कोर्ट द्वारा सीबीआई को भी दी गई मियाद बहुत पहले खत्म हो चुकी थी.

रेलमंत्री ऐसी ही गलती वरिष्ठ आईआरटीएस अधिकारी संदीप साइलस के एचएजी प्रमोशन को लेकर भी कर चुके हैं. जब सीवीसी ने श्री साइलस को क्लीन चिट दे दी थी, तब रेलमंत्री को उनकी फाइल पर पुनः सीबीआई से ओपिनियन मांगने को कहने का कोई औचित्य नहीं था. सीबीआई, सीवीसी के मातहत है, यह रेलमंत्री को मालूम होना चाहिए. यदि इतना भी ज्ञान **शेष पेज 5 पर...**

'हॉट बॉक्स डिटेक्टर' से यात्री संरक्षा में पर्याप्त सुधार होगा –एम. सी. चौहान

इलाहाबाद ब्यूरो : महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे एम. सी. चौहान द्वारा इलाहाबाद मंडल के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत 24 मार्च को कानपुर–इलाहाबाद खंड का गहन निरीक्षण किया गया. मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार पंकज के साथ कानपुर स्टेशन से निरीक्षण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने सर्वप्रथम क्लीन ट्रेन स्टेशन के नए करार का शुभारंभ किया. इस नए करार के तहत एक निजी कंपनी को

महाप्रबंधक द्वारा कानपुर–इलाहाबाद खंड का वार्षिक निरीक्षण

स्टेशन की संपूर्ण साफ-सफाई के लिए तीन वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें 39 ट्रेनों सहित कुल 267 कोचों की सफाई के साथ ही 127 ट्रेनों (1319 कोच) की प्रतिदिन वॉटरिंग का कार्य भी शामिल है. इस कांट्रेक्ट के तहत 9 वर्क स्टेशन के साथ एक शिकायत केंद्र और सफाई हेतु 66 स्टाफ, 4 सुपरवाइजर, वॉटरिंग हेतु 60 स्टॉफ एवं तीन सुपरवाइज़र लगाए जा रहे हैं. इसके बाद महाप्रबंधक ने कानपुर सेंट्रल के प्लेट्फॉर्म सं. 1 पर स्थित वेटिंग हॉल का निरीक्षण किया. वहां उपस्थित यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक लिया. इसी क्रम में श्री चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानपुर एवं इलाहाबाद स्टेशनों के रीडेवलेपमेंट हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है एवं इसके पूरा होने के बाद यात्री सुविधाओं मे आशातीत वृद्धि होगी.

महाप्रबंधक श्री चौहान ने कानपुर-चंदारी के मध्य नई सब-सेक्शन पोस्ट (एसएसपी) का उदघाटन करने के साथ ही चंदारी स्टेशन पर कानपुर-इलाहाबाद खंड के बीच स्वचालित सिगनलिंग तथा चंदारी स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य का शुभारंभ किया. इन कार्यों के पूरा होने से इस खंड की लाइन क्षमता बढ़ जाएगी और चूंकि मुगलसराय-गाजियाबाद सेक्शन के इलाहाबाद-मुगलसराय एवं कानपुर-गाज़ियाबाद सेक्शन की ऑटोमेटिक सिगनलिंग के कार्य पूरे हो चुके हैं, इसलिए भारतीय रेल के इस अतिव्यस्त खंड के पूरी तरह स्वचालित-सिगनलिंग युक्त हो जाने पर समयपालन में सुधार किया जा सकेगा. श्री चौहान ने चंदारी स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया.

तत्पश्चात महाप्रबंधक एम. सी. चौहान ने सरसौल में ट्रैक्शन सब-स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद वहां एक पौधारोपण भी किया. उन्होंने सरसौल स्टेशन की लूप-लाइन के प्वॉइंट का अवलोकन किया और संबंधित रेलपथ निरीक्षक एवं अन्य स्टॉफ को उनके कार्य की अच्छी गुणवत्ता के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया और उन्हें इसी प्रकार से आगे भी कार्य करने को प्रोत्साहित भी किया. महाप्रबंधक ने कुस्तीकलां और फतेहपुर के मध्य स्थित इंजीनियरंग लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 51-सी और किमी. 944/24-943/10-12 स्थित कर्व संख्या- 46 (डॉउन) का भी निरीक्षण किया. इसके साथ ही किमी. 942/17-19 पर स्थित ट्रैफिक क्रॉसिंग गेट संख्या 49-ए को भी संरक्षा और संचालन की दृष्टि से परखा. फतेहपुर स्टेशन परिक्षेत्र का निरीक्षण करते हुए महाप्रबंधक ने प्वाइंट सं. 298 बी, गैंग सं. 36 का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ओएचई डिपो आदि का निरीक्षण किया. उन्होंने इस संबंध आवश्यक सुधार के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए. स्टेशन पर उपस्थित पत्रकारों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सभी व्यवस्थाओं मे निरंतर सुधार हो रहा है और यात्रियों तथा ग्राहकों की मांग के अनुरूप भविष्य में भी सुविधाओं मे वृद्धि की जाएगी. श्री चौहान ने फतेहपुर स्टेशन पर नवनिर्मित पर्यवेक्षक कक्ष और मर्चेंट रूम का शुभारंभ किया. ये कक्ष माल लदान से संबंधित पर्यवेक्षकों और ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से निर्मित किया गया है.

इसके बाद रसूलाबाद से अथसराय के मध्य स्पीड ट्रायल किया गया. इसके बाद अथसराय एवं सिरायू के बीच ब्रिज सं. 109 का संरक्षा एवं अनुरक्षण के दृष्टिकोण से देखा गया. भरवारी स्टेशन पहुंच कर महाप्रबंधक ने स्टेशन एवं स्टेशन परिसर के निरीक्षण के साथ-साथ रेलवे कॉलोनी की व्यवस्थाओं को देखा. इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं और परिचालन व्यवस्था को देखा. महाप्रबंधक ने कॉलोनी मे रेल कर्मचारियों के आवासों, उनकी व्यवस्थाओं, उनके रखरखाव का भी निरीक्षण किया. इलाहाबाद पहुंच कर चुनार में लगाए गए हॉट बॉक्स डिटेक्टर का रिमोट द्वारा शुभारंभ किया. यह यंत्र रेलगाड़ियों में होने वाले हॉट एक्सल को जांचने के लिए लगाया गया है. इसके प्रयोग से संरक्षा में सुधार होगा और आधुनिक तकनीक के प्रयोग से रेल परिचालन को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा. निरीक्षण कार्यक्रम में उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार पंकज, मुख्यालय एवं इलाहाबाद मंडल के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे.

अहमदाबाद मंडल, प.रे., इजी. विभाग के कर्मचारियों का सराहनीय कार्य

अहमदाबाद : अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे, इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों ने अपने दिवंगत साथ जेई/पी-वे/केवाईजी नरेंद्र माली के प्रति सद्भावना दिखाने का एक सराहनीय कार्य किया है. पिछले महीने एक दुखद घटना में नरेंद्र माली का युवावस्था में देहांत हो गया था. इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों ने अपने इस साथी रेलकर्मी के परिवार की सहायता के लिए 2.90 लाख रुपए का कोष एकत्र किया. 27 मार्च को सीनियर डीईएन/समन्वय अनंत कुमार के हाथों उनके पिता रामलाल माली को यह कोष सौंपा गया. हालांकि इस नगण्य सी धनराशि से माली परिवार का दुःख कम तो नहीं होगा, मगर यह छोटी सी आर्थिक मदद और कर्मचारियों की सदभावना उनके परिवार को थोड़ी राहत अवश्य पहुंचाएगी. अहमदाबाद मंडल के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी इस प्रयास के लिए बधाई के पात्र हैं. इससे उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में भी यह एक अनुकरणीय उदाहरण साबित होगा.

उमरे की 341 लेवल क्रासिंग सौर ऊर्जा से संचालित

उत्तर मध्य रेलवे द्वारा लेवल क्रासिंगों पर संरक्षा सुरक्षित करने के उद्देश्य से उनको उर्जित करने एवं बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है. उत्तर मध्य रेलवे के अधिकांश परिक्षेत्र में वर्ष भर समुचित सौर ऊर्जा की उपलब्धता रहती है और गैर-विद्युतीकृत रेल मार्गों पर लेवल क्रासिंग तक बिजली सप्लाई के लिए विशेष व्यवस्था वांछित होती है. ऐसी स्थिति में सौर ऊर्जा ही स्वाभाविक ऊर्जा स्रोत है. इसको ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल लगाकर, उत्तर मध्य रेलवे की 341 लेवल क्रासिंगों-इलाहाबाद मंडल में 37, झांसी मंडल में 232 एवं आगरा मंडल में 72 को भी सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज किया गया है. इससे लगभग 49786 यूनिट 3.96 लाख रु. प्रतिवर्ष की बिजली की बचत होती है. इसी क्रम में इलाहाबाद मंडल में 7, झांसी मंडल में 89 एवं आगरा मंडल में 13, कुल 109 लेवल क्रासिंगों को अगले कुछ समय में सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज किया जाएगा.

माफिया यूनियन का दुष्टतापूर्ण प्रतिशोध...

पेज 4 का शेष...

रेलमंत्री को नहीं है, तो उन्हें रेलमंत्री के संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है. वैसी भी अपने पास कोई अधिकार न रखकर 'मिस्टर क्लीन' बने रहने और रेलवे में चौतरफा भ्रष्टाचार और मनमानी चलने की खुली छूट देने वाले रेलमंत्री की रेलवे बोर्ड में सुनता या मानता ही कौन है?

बहरहाल, अब जब रेलवे बोर्ड ने उक्त वकील की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करके अजीत सक्सेना का आरसीटी में पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दिया है, तब यूनियन की तरफ से पुनः उन्हें रोकने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगवाई गई है. इस जनहित याचिका में भी यही कहा गया है कि सीबीआई को मदुरै बेंच द्वारा दिए गए जांच निर्देश के अनुसार अजीत सक्सेना की आरसीटी में पोस्टिंग उचित नहीं है. इस याचिका पर यूनियन को मंगलवार, 28 मार्च को हाई कोर्ट से अंतरिम स्थगनादेश प्राप्त हो गया है. अब रेल प्रशासन को यदि अपनी इज्जत बचानी है, तो उसे इस अंतरिम स्टे को खारिज करवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा.

कानून का इस्तेमाल और न्याय पाने का अधिकार सबको है. मगर जब धनबल से कानून का इस्तेमाल किया जाए और न्याय को खरीदने की कोशिश होती नजर आए, तथा इसी तरह जब पूरी व्यवस्था को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए, तब इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की जरुरत पैदा हो जाती है. यूनियन द्वारा यह कोशिश बार-बार की जाती रही है और रेल प्रशासन उसकी इन तमाम कोशिशों से बखूबी वाकिफ भी रहा है. परंतु रेल प्रशासन द्वारा अब तक यूनियन को काबू में रखने की कोई कोशिश होती नजर नहीं आई है.

क्या अजीत सक्सेना ने रेलवे के नियम-कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश अपने व्यक्तिगत हित में की थी? यदि नहीं, तो फिर यूनियन की तमाम दुष्टताओं और प्रताड़नाओं से जूझने के लिए रेल प्रशासन ने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इस बात पर रेल प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जोनल संगठनों से रिटायर्ड पदाधिकारियों को निकाल बाहर किया जाए. इसकी व्यवस्था उसी तरह से की जानी चाहिए जिस तरह मंडल स्तर पर मान्यताप्राप्त संगठनों में रिटायर्ड रेलकर्मियों को पदाधिकारी नहीं रखे जाने का प्रावधान है. इसके अलावा यदि किसी यूनियन द्वारा इसी प्रकार रेल प्रशासन और अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जाता रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब रेल प्रशासन को अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा.

Statement about ownership and other particulars of **"PARIPURNA RAILWAY SAMACHAR"** (KALYAN MUMBAI) as required under rule 8 of the registration of newspapers (central) rules, 1956.

Form- IV (See Rule 8)

1. Place of Publication	:	105, Doctor House, Raheja Complex, Near Patri Pul, Kalyan (W)-421301.
2. Periodicity of its Publication	:	**Fortnightly.**
3. Printer's Name	:	**Suresh Tripathi**
whether citizen of India	:	Yes
Address	:	105, Doctor House, Raheja Complex, Near Patri Pul, Kalyan (W)-421301.
4. Publisher's Name	:	**Suresh Tripathi**
whether citizen of India	:	Yes
Address	:	105, Doctor House, Raheja Complex, Near Patri Pul, Kalyan (W)-421301.
5. Editor's Name	:	**Suresh Tripathi**
whether citizen of India	:	Yes
Address	:	105, Doctor House, Raheja Complex, Near Patri Pul, Kalyan (W)-421301.
6. Name & Address of Individuals who own the Newspaper	:	**M/s. Soham Publication,** 105, Doctor House, Raheja Complex, Near Patri Pul, Kalyan (W)-421301.

I, Suresh Tripathi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/-
Suresh Tripathi
(Printer/Publisher)

Date : 31 March 2017

पैसा लेकर ट्रांसफर/पोस्टिंग करने का डॉक्टरों का CMD पर स्पष्ट आरोप

- पूर्वोत्तर रेलवे : टुकड़ों में की जा रही डॉक्टरों की ट्रांसफर/पोस्टिंग
- ट्रांसफर के बाद पीएमसी में गए डॉक्टरों के विरुद्ध नहीं की गई कार्रवाई
- जीएम के रिटायर होने तक डॉक्टरों को दी गई पीएमसी में जाने की सलाह
- डॉक्टरों को अप्रत्यक्ष रूप से उनकी एसीआर खराब करने की दी जा रही है धमकी

भारतीय रेल के विभिन्न जोनों में अधिकांश डॉक्टर 15-20-25 सालों से एक ही हेल्थ यूनिट या रेलवे अस्पताल में कार्यरत हैं, यही स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे में भी कई डॉक्टरों की है. जहां पीरियोडिकल ट्रांसफर के नाम पर टुकड़ों में डॉक्टरों के ट्रांसफर ऑर्डर किए जा रहे हैं. जबकि ऐसे सभी डॉक्टर्स के ट्रांसफर का एक ही प्रस्ताव बनाकर जीएम की अनुमति के बाद उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए. परंतु इसके पीछे उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि जिन डॉक्टर्स के साथ 'सेटिंग' हो चुकी है, उनका ट्रांसफर पीछे रखकर उन डॉक्टर्स का ट्रांसफर प्रस्तावित किया जा रहा है, जिनके साथ या तो सेटिंग नहीं हो पाई है, अथवा जो सेटिंग करने की स्थिति में नहीं हैं.

उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उनके अप्रूवल से 30 नवंबर 2016 को जिन 9 डॉक्टरों का पीरियोडिकल ट्रांसफर किया गया था, उनमें से डॉ. आर. पी. सिंह और डॉ. सुनंदा चतुर्वेदी का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया है. इन दोनों डॉक्टर्स को कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट, वाराणसी (सीआरआई/बीएसबी) से ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर (एलएनएमआरसी/जीकेपी) में ट्रांसफर किया गया था.

हालांकि यहां एक विसंगति यह भी है कि डॉ. सुनंदा चतुर्वेदी की नियुक्ति विशेष रूप से सीआरआई/बीएसबी के लिए हुई है. अतः उनका अन्यत्र ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था. तथापि, पैसा उगाही के उद्देश्य से यह ट्रांसफर किया गया और पैसा लेकर ही रद्द किया गया है. यही स्थिति डॉ. आर. पी. सिंह के मामले में भी है. अब यह अलग बात है कि यह दोनों डॉक्टर इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि कई डॉक्टरों का स्पष्ट आरोप है कि यह दोनों ट्रांसफर पैसा लेकर रद्द किए गए हैं और डॉक्टरों का ट्रांसफर करने तथा ट्रांसफर रद्द करने दोनों के लिए खुलेआम पैसे की उगाही की जा रही है.

इसी प्रकार डॉ. मृदुला कुमारी का मामला है, जिन्हें कुछ विशेष कारणों के चलते महाप्रबंधक ने पोस्ट के साथ इज्जतनगर से ऐशबाग, लखनऊ के लिए ट्रांसफर किया था. पहले तो सीएमडी ने उनका ट्रांसफर यह कहकर विलंबित कर दिया कि अगली व्यवस्था होने तक डॉ. मृदुला कुमारी को रिलीव न किया जाए. इसके बाद जब इस मामले को 'रेलवे समाचार' ने उठाया, तो सीएमडी ने उन्हें रिलीव तो करा दिया, मगर साथ ही महाप्रबंधक की सेवानिवृत्ति तक प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट (पीएमसी) पर सिक में चले जाने की सलाह भी दे दी, जिसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया है. 30 नवंबर के उक्त आदेश में डॉ. विनीता गुप्ता (एसएजी) को भी ऐशबाग, लखनऊ से गोंडा के लिए ट्रांसफर किया गया था, जबकि स्पाउस ग्राउंड पर उनका ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए था. तथापि उन्हें जबरन रिलीव करके गोंडा भेजा गया है.

इसके साथ ही 6 नवंबर 2016 को गोंडा से डॉ. डी. के. मोरे को छपरा हेल्थ यूनिट के लिए और डॉ. डी. के. सिंह को छपरा से गोरखपुर के लिए ट्रांसफर किया गया था. परंतु डॉ. मोरे, जो कि गोंडा में पिछले 18 सालों से लगातार पदस्थ हैं, ने ज्वाइन करने के बजाय पीएमसी में जाना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि बताते हैं कि उन्होंने गोंडा में अपनी डॉक्टर बीवी के नाम से निजी अस्पताल खोल रखा है और अब पीएमसी में रहकर मजे से निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि सीएमडी की सलाह से ही डॉ. मोरे पीएमसी में बैठे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने सीएमडी को पर्याप्त रूप से 'ओब्लाइज' किया है. उनका यह भी कहना है कि यदि ऐसा नहीं है, तो सीएमडी ने डॉ. मोरे के खिलाफ अब तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं की है?

डॉ. मोरे को 'ओब्लाइज' करने के परिणामस्वरूप सीएमडी ने सीवान के डॉ. केशव कुमार को बलि का बकरा बना दिया है. 9 मार्च 2017 को जारी नए आदेश के अनुसार डॉ. केशव कुमार को सीवान से ट्रांसफर करके छपरा से डॉ. डी. के. सिंह को रिलीव करने जाने का हुक्म जारी कर दिया गया, जबकि डॉ. केशव कुमार को सीवान में पदस्थ हुए अब तक करीब दो-सवा दो साल ही हुए हैं. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ. केशव कुमार अपनी अब तक की लगभग 20 साल की सर्विस में पांच बार ट्रांसफर हो चुके हैं, जबकि डॉ. मोरे 18 साल की सेवा में गोंडा

से बाहर एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुए हैं. उनके साथ ही गोंडा में डॉ. एस. के. मिश्रा भी पिछले 18 सालों से जमे हुए हैं.

मात्र दो-सवा दो साल में ही पुनः ट्रांसफर कर दिए जाने से बौखलाए डॉ. केशव कुमार ने 10 मार्च 2017 को महानिदेशक, रेलवे चिकित्सा सेवा (डीजी/आरएचएस) रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिखकर अपनी वेदना प्रकट की है. 'रेलवे समाचार' के पास उपलब्ध इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनका ट्रांसफर 7 जुलाई 2014 को गोरखपुर से सीवान में किया गया था और वह सीएचडी, एचटीएन एवं डीएम-2 बीमारियों से से ग्रस्त हैं, जिसके लिए पुनः गोरखपुर में ही पदस्थ किए जाने हेतु वह अपना अनुरोध

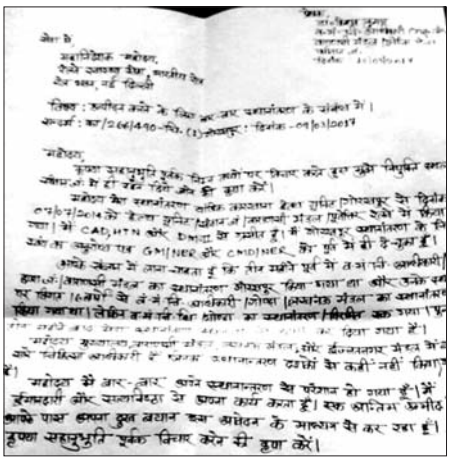

पत्र पहले ही जीएम और सीएमडी को दे चुके हैं. उन्होंने लिखा है कि करीब तीन महीने पहले वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी, छपरा जंक्शन, वाराणसी मंडल का ट्रांसफर गोरखपुर के लिए किया गाया था, और उनके स्थान पर छपरा में वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी, गोंडा, लखनऊ मंडल का ट्रांसफर हुआ था. लेकिन वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी, गोंडा का ट्रांसफर/विरमित रोक दिया गया और उनके स्थान पर उनका ट्रांसफर छपरा कर दिया गया है.

डॉ. केशव कुमार ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर तीनों मंडलों में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, जिनका ट्रांसफर दशकों से एक बार भी कहीं नहीं किया गया है. उन्होंने लिखा है कि वह बार-बार के ट्रांसफर से अब बहुत परेशान हो चुके हैं. उन्होंने लिखा है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करने वाले अधिकारियों को यदि इसी तरह से परेशान किया जाता रहा, तो उनके सामने वीआरएस लेने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं बचेगा. अतः उपरोक्त तथ्यों और उनकी व्यक्तिगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए.

ज्ञातव्य है कि व्यक्तिगत बातचीत में तमाम डॉक्टरों ने सीएमडी द्वारा पैसा लेकर डॉक्टरों के ट्रांसफर किए जाने और पैसा लेकर ट्रांसफर रद्द किए जाने की बात स्वीकार की है. इसके परिस्थितिजन्य सबूत के तौर पर उन्होंने बताया कि डॉ. ए. ए. खान का ट्रांसफर एक गंभीर शिकायत पर कुछ समय पहले इज्जतनगर से लखनऊ किया गया था. अब उन्हें पुनः इज्जतनगर भेजे जाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि उनकी सीएमडी के साथ 'डीलिंग' हो चुकी है. कई डॉक्टरों का यह भी कहना है कि सीएमडी खुद पूरी सर्विस दिल्ली में एक ही जगह रहकर करके आए हैं, और अब वह चुन-चुनकर उन डॉक्टरों का ट्रांसफर प्रस्तावित कर रहे हैं, जिनके साथ उनकी 'डीलिंग' नहीं हो रही है अथवा जो 'डीलिंग' करने की स्थिति में नहीं हैं या वह जो अवैध कमाई में लिप्त नहीं हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार जो डॉक्टर सीएमडी की गलत हरकतों या चालू-नीतियों पर दबे-छुपे विरोध कर रहे हैं, उन्हें उनकी एसीआर खराब कर दिए जाने की अप्रत्यक्ष धमकी द जा रही है. इसके अलावा सीएमडी द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के सभी अस्पतालों में दवाईयों की कमी के बावजूद अब तक उनकी खरीद संबंधी फाइल अपने पास दबाकर रखी गई है. इसके साथ ही उक्त फाइल को खोजने के लिए केंद्रीय रेलवे अस्पताल, गोरखपुर के दो फार्मासिस्टों को मुख्यालय में पिछले तीन-चार महीनों से अनावश्यक रूप से पदस्थ करके रखा गया है. जबकि अस्पताल में दवा पाने के लिए मरीजों की लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं. उपरोक्त तमाम तथ्यों का सामना करने से बचने के लिए सीएमडी द्वारा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर जवाब देने से बचा जा रहा है.

उपरोक्त तमाम तथ्यों पर जब सीएमडी, पूर्वोत्तर रेलवे डॉ. सतीश चंद्रा से 'रेलवे समाचार' ने 16 मार्च 2017 को उनके मोबाइल पर कॉल किया और पूछा तो एक बार फिर बात न करने का बहाना तलाश करते हुए बोले कि वह फिलहाल दिल्ली में हैं, इसलिए जब वह ऑफिस में होंगे तब वह खुद इस बारे में बात करेंगे. तथापि जब उनसे यह पूछा गया कि सीवान के डॉक्टर का ट्रांसफर मात्र दो साल में ही क्यों किया गया, तो इस पर उनका कहना था कि जीएम साहब के कहने पर अस्थाई रूप से सीवान के डॉक्टर का ट्रांसफर छपरा किया गया है. इसी क्रम में जब उनसे यह पूछा गया कि गोंडा में डॉ. डी. के. मोरे और डॉ. एस. के. मिश्रा पिछले 18-18 सालों से पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी तरह 30 नवंबर 2016 के ट्रांसफर ऑर्डर में डॉ. सुनंदा चतुर्वेदी और डॉ. आर. पी. सिंह का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया.. इस पर बीच में ही टोकते हुए सीएमडी डॉ. सतीश चंद्रा ने कहा कि वह जब ऑफिस में होंगे तब बात करेंगे.

इससे पहले जब उनसे बात की गई थी और पूछा गया था कि डॉ. मृदुला कुमारी, जिनका ट्रांसफर जीएम के विशेष आदेश पर पोस्ट के साथ इज्जतनगर से लखनऊ किया गया था, को रिलीव क्यों नहीं किया गया, तब भी डॉ. सतीश चंद्रा का यही कहना था कि उन्हें जीएम के कहने पर रोका गया है, जबकि यह सरासर झूठ था, क्योंकि जीएम ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था. इसी प्रकार डॉ. केशव कुमार को सीवान से छपरा ट्रांसफर करने के लिए भी जीएम ने नहीं, बल्कि स्वयं सीएमडी ने प्रस्ताव किया था. सीएमडी डॉ. सतीश चंद्रा अपने हर गलत कार्य के लिए महाप्रबंधक का नाम इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं. यदि यह सच है तो वह इसके सबूत क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं? इसके बजाय वह इधर-उधर से 'रेलवे समाचार' पर दबाव डालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इसके लिए एक डॉक्टर को बात करने के लिए क्यों भेजा था? उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? यह भी सीएमडी डॉ. सतीश चंद्रा को स्पष्ट करना चाहिए.

सीएमडी डॉ. सतीश चंद्रा जिस तरह स्वयं को पाक-साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में वह वैसे हैं नहीं. वह लिखित में भी झूठ बोलते हैं. इसका प्रमाण यह है कि 8 फरवरी 2017 को 'रेलवे समाचार' द्वारा 'एसडीजीएम और सीएमडी को चाहिए दलाल स्टेनो?' और 23 फरवरी 2017 को 'मुख्य चिकित्सा निदेशक ने किया महाप्रबंधक के आदेश को बाईपास' शीर्षकों से प्रकाशित खबरों पर उन्होंने अपना लिखित स्पष्टीकरण 'रेलवे समाचार' को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तत्कालीन एमडी, ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर ने उन्हें एक पत्र लिखकर बताया था कि स्टेनो संदीप सिंह की विश्वसनीयता गोपनीय सहायक के रूप में संदिग्ध है. इसलिए उसकी पदस्थापना निरस्त करने की उन्होंने सीपीओ से सिफारिश की थी. जबकि उसी एमडी ने स्टेनो संदीप सिंह को ज्वाइन करवाकर उसे खुद अपने साथ अटैच किया था. तब यह कैसे मान लिया जाए, कि उक्त एमडी ने संदीप सिंह को जॉइनिंग देने और अपने साथ अटैच करने के बाद ऐसा कोई पत्र लिखा था?

इस पर 'रेलवे समाचार' को संदेह होने पर जब एमडी द्वारा लिखा गया उक्त पत्र सीएमडी से माँगा गया, तो उन्होंने उक्त पत्र आज तक 'रेलवे समाचार' को न तो दिया है, और न ही दिखाया है. जैसा कि 'रेलवे समाचार' को अपने विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है, सचाई यह है कि तत्कालीन एमडी ने ऐसा कोई पत्र सीएमडी को लिखा ही नहीं था. ऐसे में सीएमडी उक्त पत्र का अस्तित्व कैसे प्रकट कर सकते हैं? यदि उक्त पत्र का कोई अस्तित्व वास्तव में है, तो सीएमडी वह 'रेलवे समाचार' को सौंपें, तभी उनका स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाएगा. अब यह भी पता चला है कि सीएमडी ने कुछ लोगों से कहा है कि वह 'रेलवे समाचार' के विरुद्ध प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं, तो वह शौक से पीसीआई में जा सकते हैं.

--

यात्री सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और...

पेज 1 का शेष... सुरक्षा विभागों के कार्यकलापों की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलकर्मियों एवं उनके परिजनों को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है. उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर रेल प्रशासन स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में अपने दायित्व को बखूबी निभा रहा है.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते हुए उनको हरसंभव चिकित्सा सहायता प्रदान किए जाने को प्राथमिकता देने को कहा. रेलयात्रियों एवं रेल-संपत्ति की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करते हुए प्रदीप कुमार ने भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए हर दृष्टि से तत्पर एवं सजग रहने पर जोर दिया. रेल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ उनकी सेवा संबंधी सुविधाओं को तत्परतापूर्वक उपलब्ध कराए जाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर संतोश व्यक्त करते हुए उन्होंने अनेक बहुमूल्य सुझाव भी दिए.

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के विकास में मेंबर स्टाफ एवं मेंबर ट्रैक्शन का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग हमेशा मिलता रहा है. उन्होंने कहा कि एक्ट अप्रेन्टिसों के समायोजन के संबंध में उनके निर्देशों से रेल प्रशासन को निश्चित रूप से उच्च कोटि के कर्मचारी उपलब्ध होंगें. श्री मिश्र ने कहा कि विगत दो वर्षों में प्रदीप कुमार की विशेष पहल से पूर्वोत्तर रेलवे को लगभग 1000 सहायक लोको पायलट प्राप्त हुए हैं, जिनसे रेल संचालन में अपेक्षित सहयोग मिला है.

पूर्वोत्तर रेलवे पर चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार पर चर्चा करते हुए महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि मेंबर स्टाफ एवं मेंबर ट्रैक्शन द्वारा बड़े शहरों में रेल कर्मियों एवं उनके परिजनों हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए उठाए गए कदम अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं तथा उनका विस्तार अन्य शहरों में भी किया जा रहा है. इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों की पदोन्नति सहित अनेक मुद्दों पर किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी भी दी.

बैठक में मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. सतीश चंद्रा ने चिकित्सा विभाग, अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल पंकज गंगवार ने सुरक्षा विभाग एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन श्रीप्रकाश ने कार्मिक विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी. बैठक में चर्चाओं का समन्वय मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन श्रीप्रकाश ने किया.

डॉक्टर लंबे समय से एक ही यूनिट में क्यों जमे हुए हैं?

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के दौरे पर गए मेंबर स्टाफ, रेलवे बोर्ड प्रदीप कुमार से प्रेस कांफ्रेंस के दौरान 'रेलवे समाचार' के गोरखपुर ब्यूरो चीफ विजय शंकर श्रीवास्तव द्वारा जब यह सवाल पूछा गया कि आप मेंबर स्टाफ होने के साथ ही मेंबर ट्रैक्शन का भी अतिरिक्त चार्ज देख रहे हैं, तो कृपया बताएं कि तीन जीएम और मेंबर ट्रैक्शन की नियुक्ति में इतना विलंब होने का कारण क्या है? 'रेलवे समाचार' के इस सवाल के जवाब में प्रदीप कुमार ने कहा कि वह फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि उक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. हालांकि उन्होंने अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए आगे यह भी कहा कि जितना बड़ा पद होता है, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया और जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखते हुए इनकी नियुक्ति जल्दी ही कर दी जाएगी.

इस अवसर पर 'रेलवे समाचार' द्वारा प्रदीप कुमार से यह भी पूछा गया कि आप खुद मेडिकल विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं. ऐसे में कृपया यह बताएं कि रेलवे अस्पतालों और रेलवे स्वास्थ्य केंद्रों में सैकड़ों डॉक्टर 15-20-25 सालों से एक ही जगह आखिर क्यों जमे हुए हैं, क्या उनके पीरियोडिकल ट्रांसफर की कोई पालिसी नहीं है? कोई डॉक्टर 20 साल में पांच-छह बार ट्रांसफर हो रहा है, जबकि कई डॉक्टर्स इससे भी ज्यादा लंबे समय से एक ही यूनिट में जमे हुए हैं. क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिल रहा है?

'रेलवे समाचार' के इस महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में मेंबर स्टाफ प्रदीप कुमार ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, डॉक्टर्स के ट्रांसफर की भी एक पालिसी रेलवे बोर्ड ने बनाई हुई है. उन्होंने अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करते हुए कहा कि डॉक्टर्स के साथ थोड़ी अलग स्थिति है. उनका कहना था कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति या परिवार का अपने फेमिली डॉक्टर के साथ जुड़ाव होता है, उसी प्रकार मरीज का भी अपने डॉक्टर के साथ एक जुड़ाव होता है, वह उसी डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहते हैं, जिस पर उनका भरोसा जम जाता है. तथापि वह यह भी देखेंगे कि ऐसा न हो जैसा 'रेलवे समाचार' ने उल्लेख किया है.

हालांकि मेंबर स्टाफ प्रदीप कुमार बड़ी सफाई से डॉक्टर-मरीज का रिश्ता बताकर सवाल के मर्म को टाल गए. मगर यह बात तो पूरी भारतीय रेल में जग-जाहिर ही है कि पूर्वोत्तर रेलवे सहित पूरी भारतीय रेल में सैकड़ों डॉक्टर्स एक ही यूनिट में बीसों साल से जमे हुए हैं, जिसकी वजह से भारतीय रेल का मेडिकल विभाग भारी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है. पूर्वोत्तर रेलवे में जहां सीएमडी द्वारा चुन-चुनकर और 'ओब्लाइज' न करने वाले डॉक्टर्स के ट्रांसफर के प्रस्ताव टुकड़ों में जीएम को भेजे जा रहे हैं और दवाईयों की खरीद की फाइल पिछले छह महीनों से अपने पास दबाए रखकर मात्र 30-35% उपलब्ध दवाईयों और लोकल परचेज से काम चलाया जा रहा है, वहीं अन्य रेलों में भी यह स्थिति बहुत अलग नहीं है. यह सब भरी प्रेस कांफ्रेंस में मेंबर स्टाफ को बताकर उन्हें 'क्रिटि

साइज' करने का 'रेलवे समाचार' का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि 'रेलवे समाचार' का मानना है कि मेंबर स्टाफ और जीएम सहित वहां उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों को इस सवाल से ही मामले की गंभीरता का अंदाज अवश्य हो गया होगा.

पहले लंबे समय से एक ही पद पर जमे कैटरिंग अधिकारियों...

पेज 1 का शेष... शिकायतों के निपटारे से कोई मतलब नहीं है. उन्हें सिर्फ अपनी छवि साफ-सुथरी बनाए रखने के लिए सिर्फ 'बंदर न्याय' का दिखावा करते रहना है. जैसे एक बंदर को जंगल का सभापति बना दिया जाता है. उससे जब-जब कोई जानवर शिकायत करता है, तब-तब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर खूब उछलकूद करता है और शिकायतकर्ता जानवर को कोई न्याय नहीं मिलता या उसकी शिकायत पर कुछ नहीं होता, तो बंदर शिकायतकर्ता जानवर के पूछने पर कहता है कि 'देखो, मेरी कोशिश में कोई कमी हो तो बताओ.'

रेलवे में भी यही हो रहा है. जनता या रेलयात्रियों को शिकायत के तमाम प्लेटफार्म मुहैया करा दिए गए हैं. मगर वास्तव में क्या हो रहा है, अब इससे भी यह जनता अथवा करोड़ों रेलयात्री बखूबी वाकिफ हो चुके हैं. भारतीय रेल के लगभग सभी जीएम, डीआरएम और उनके ब्रांच अधिकारियों के ट्विटर हैंडल्स को एक नजर देख लिया जाए, वह आई हुई शिकायतों को सिर्फ अपने से नीचे वाले को अथवा समकक्ष वाले को 'फॉरवर्ड' (खिसका) कर रहे हैं. मगर उन शिकायतों के अंतिम निपटारा या अंतिम निष्कर्ष क्या होता है, यह कभी नहीं बताया जाता. उपरोक्त रेल अधिकारी रेलमंत्री के तमाम लोकलुभावन ट्विट्स को उनकी चापलूसी में लगातार फॉरवर्ड करते हुए नजर आते हैं, मगर यात्रियों/शिकायतकर्ताओं के वाजिब सवालों का कोई उचित जवाब नहीं देते. यात्री या शिकायतकर्ता द्वारा ज्यादा फॉलो करने पर इन अधिकारियों द्वारा कई बार उनको ब्लॉक भी कर दिया जाता है.

रेलवे की खानपान व्यवस्था और आपूर्ति तभी सुधर सकती है, जब इसका कारगर इलाज किया जाएगा. कारगर इलाज यह है कि सबसे पहले रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी में लंबे समय से खानपान संबंधी पदों पर बैठे जेजीएम अनिल गुप्ता जैसे अधिकारियों को तुरंत दरबदर किया जाए. गुप्ता जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की खानपान की आपूर्ति करने वाले कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बहुत पुरानी साठ-गांठ चली आ रही है. अब तो रेलमंत्री की मेहरबानी से सभी बेस किचन और पैंट्रीकारों का जिम्मा भी आईआरसीटीसी को सौंपा जा चुका है. गुप्ता जैसे तिकड़मी अधिकारियों की वजह से अब रेलवे में ऐसे-ऐसे खानपान ठेकेदारों की आमद हो चुकी है, जिनकी न सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, बल्कि इसका खुलासा होने पर ऐसे खानपान ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है.

उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले मुंबई राजधानी में खानपान सेवा देने वाले कैटरिंग कांट्रेक्टर के करीब 8 वेंडरों को बिना स्वास्थ्य जांच अथवा पहचान पत्र के अवैध रूप से पैंट्रीकार में काम करते हुए पश्चिम रेलवे के दो विजिलेंस इंस्पेक्टरों ने अपनी जांच के दौरान पकड़ा था. दिल्ली से मुंबई की यात्रा के दौरान और गाड़ी के मुंबई सेंट्रल पहुंचने पर भी उक्त वेंडरों का कोई कुछ नहीं कर पाया और न ही पैंट्री कार कांट्रेक्टर के विरुद्ध किसी को कोई जुर्माना लगाने की हिम्मत हुई. उसने स्पष्ट रूप से चेकिंग स्टाफ को कह दिया कि वह उक्त 8 वेंडरों को लेकर जाकर जो करना चाहें कर सकते हैं, मगर वह उनका जुर्माना नहीं भरेगा. बताते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले इस पैंट्रीकार कांट्रेक्टर को एक रेल राज्यमंत्री का ही वरदहस्त प्राप्त है, जिसकी मेहरबानी की बदौलत वर्तमान में इस तथाकथित कैटरिंग कांट्रेक्टर को तमाम पैंट्रीकारों के ठेके मिल चुके हैं और इसकी सभी गाड़ियों में यात्रियों से 120/150 रुपए प्रति मील वसूले जा रहे हैं. क्या रेलमंत्री इस कैटरिंग कांट्रेक्टर की पृष्ठभूमि सहित इसकी गाड़ियों में हो रही ओवर चार्जिंग की जांच कराएंगे?

रेलमंत्री ने शुरू-शुरू में रेलवे कैटरिंग सर्विस को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी डींगें हांकी थीं, मगर आज भी स्थिति वही ढ़ाक के तीन पात वाली ही है. उनकी मोबाइल से ऑर्डर करके अपना मन-पसंद खाना मंगाने, पैंट्रीकारों में ताजा और स्वादिष्ट खाना मिलने आदि-आदि की घोषणाएं आज कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं. यात्रियों को ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस में कोई बदलाव हुआ नजर नहीं आ रहा है. उन्हें चाय के लिए आज भी 7 रु. की जगह 10 रु. देने पड़ रहे हैं या तीन रुपए के लिए उन्हें सड़े हुए दो बिस्किट्स का एक रुपया वाला पैकेट वेंडर द्वारा थमा दिया जा रहा है. 50/55 रु. की निर्धारित कीमत पर किसी भी यात्री को ईमानदारी से खाना नहीं मिल रहा है. यह सब अनिल गुप्ता जैसे भ्रष्ट और दसियों सालों से एक ही जगह बैठे खानपान अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से हो रहा है. इसका संज्ञान प्रशासन को भी बहुत अच्छी तरह से है, मगर वह भी या तो कान में उंगली डालकर सो रहा है, या उन्हीं के साथ शामिल है.

पहली बात यह है कि जब केंद्र सरकार सहित रेलमंत्री भी नियमानुसार, संवैधानिक एवं पारदर्शी तरीके से समस्त सरकारी कामकाज किए जाने की हमेशा दुहाई देते हैं, तब उपरोक्त घटना की तथ्यात्मक जांच और संबंधित को प्रतियुत्तर दिए जाने का मौका दिए जाने से पहले ही ऐसा कोई अन्यायपूर्ण एवं असंगत निर्णय कैसे ले सकते हैं? यदि रेलमंत्री को अखबारों में छपी खबरों के आधार पर ही निर्णय लेना है और इस तरह से अपनी लोकलुभावन छवि बनाए रखना है, तो सर्वप्रथम उन्हें 'रेलवे समाचार' में प्रकाशित होने वाली तमाम खबरों का संज्ञान लेना चाहिए. रेलमंत्री अपने अकर्मण्य एवं गैर-अनुभवी अथवा निहितस्वार्थी सलाहकारों के बजाय यदि 'रेलवे समाचार' जो कि विशेष रूप से रेलवे पर आधारित अखबार और वेबसाइट (www.railsamachar.com) है, में प्रकाशित खबरों और जन-सामान्य की शिकायतों का सही संज्ञान लेने लगें, तो निश्चित रूप से रेलवे की प्रशासनिक एवं कामकाजी छवि सुधर सकती है.

RPF/RPSF स्टाफ को मिला...

पेज 1 का शेष... प्रशासन की आरपीएफ के प्रति असहिष्णुता का आदी होकर प्रचुर संतोषी होना सीख गया है. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश (पत्र सं. पीसी-3/2016/ सीआरसी/ 2, दि. 27.03.2017) में कहा गया है कि यह रिस्ट्रक्चरिंग 1 अप्रैल 2017 को उपलब्ध ग्रुप 'सी' आरपीएफ/ आरपीएसएफ स्टाफ पर ही लागू होगी और इसका लाभ भी 1 अप्रैल 2017 से ही मिलेगा. यह आदेश स्थाई/नियमित कैडर पर लागू किया जाएगा. इसमें वर्कचार्ज पोस्टें शामिल नहीं हैं और न ही यह सरप्लस एवं सुपरनुमेरेरी पोस्ट्स पर लागू किया जाएगा. अस्थाई मगर कम से कम तीन से ऑपरेशन में चल रहो पोस्टों को भी इस आदेश के अनुसार नए प्रतिशत-मान में शामिल किया जाएगा. परंतु यह तभी होगा, जब ऐसी पोस्टों के बारे में यह प्रमाणित किया जाए कि यह नियमित गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं और इन्हें बिना किसी एडहाक के भविष्य में भी जारी रखा जाना है.

आदेश के अनुसार आरपीएफ में इंस्पेक्टर 2.75% से बढ़कर 3%, सब-इंस्पेक्टर 4.50 से बढ़कर 6%, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर 7.75 से बढ़कर 10%, हेड कांस्टेबल 34 से घटकर 31% और कांस्टेबल 51 से घटकर 50% होंगे. इसी प्रकार आरपीएसएफ में इंस्पेक्टर एवं सब-इंस्पेक्टर का प्रतिशत समान रखा गया है. जबकि असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर 7.75 से बढ़कर 9%, हेड कांस्टेबल 27.50 से घटकर 25% और कांस्टेबल 57.50 से घटकर 57% होंगे. ज्ञातव्य है कि भारतीय रेल में आरपीएफ के स्वीकृत स्टाफ की कुल संख्या 76,414 है. इसके मुताबिक वर्तमान रिस्ट्रक्चरिंग में दिए गए कैडर प्रतिशत के आधार पर अब पूरी आरपीएफ में इंस्पेक्टर्स की कुल संख्या 2292 हो जाएगी. जबकि सब-इंस्पेक्टर्स की कुल संख्या 4585, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर्स की कुल संख्या

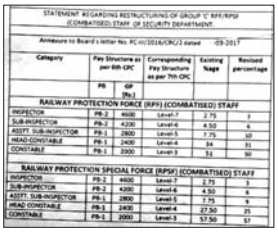

STATEMENT REGARDING RESTRUCTURING OF GROUP 'C' RPF/RPSF (COMBATISED) STAFF OF SECURITY DEPARTMENT.

Annexure to Board's letter No. PC-III/2016/CRC/2 dated 03-2017

Category	Pay Structure as per 6th CPC		Corresponding Pay Structure as per 7th CPC	Existing %age	Revised percentage
	PB	GP (Rs.)			
RAILWAY PROTECTION FORCE (RPF) (COMBATISED) STAFF					
INSPECTOR	PB-3	4600	Level-7	2.75	3
SUB-INSPECTOR	PB-2	4200	Level-6	4.50	6
ASSTT. SUB-INSPECTOR	PB-1	2800	Level-5	7.75	10
HEAD CONSTABLE	PB-1	2400	Level-4	34	31
CONSTABLE	PB-1	2000	Level-3	51	50
RAILWAY PROTECTION SPECIAL FORCE (RPSF) (COMBATISED) STAFF					
INSPECTOR	PB-2	4600	Level-7	2.75	3
SUB-INSPECTOR	PB-2	4200	Level-6	4.50	6
ASSTT. SUB-INSPECTOR	PB-1	2800	Level-5	7.75	9
HEAD CONSTABLE	PB-1	2400	Level-4	27.50	25
CONSTABLE	PB-1	2000	Level-3	57.50	57

7641 और हेड कांस्टेबल्स की कुल संख्या 23,689 तथा कांस्टेबल्स की कुल संख्या 38,207 होगी. इससे आरपीएफ में रिक्त पदों के भी भर जाने की पूरी संभावना है.

उल्लेखनीय है कि आरपीएफ/ आरपीएसएफ को पिछली रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ वर्ष 2004 में मिला था. इस हिसाब से वर्तमान रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ उसे कम से कम वर्ष 2014 से मिलना चाहिए था. जैसा कि अन्य सभी रेल कर्मचारियों को प्रत्येक दस वर्ष में मिलता है. इस प्रकार आरपीएफ/आरपीएसएफ के साथ यह एक तरह से अन्याय हो रहा है. इसके अलावा कैडरवाइज जो प्रतिशत दिया गया है, उसमें भी कुछ कमी और विसंगति नजर आ रही है. फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करने के बजाय ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन का कहना है कि अभी तो रेलमंत्री की मेहरबानी से रिस्ट्रक्चरिंग का ऑर्डर जारी हुआ है. अब इसका व्यापक अध्ययन करने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकेगा.

अब जरुरत इस बात की है कि सभी जोनल आरपीएफ संगठनों को इस रिस्ट्रक्चरिंग आदेश पर गहन विचार-विमर्श करते हुए इसकी पूरी गहराई से मीमांसा करनी चाहिए. इस पर जोनल कार्यकारिणी की बैठक करके इसकी विसंगतियों पर प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय कार्यकारिणी को भेजकर पूरा दबाव बनाया जाना चाहिए, जिससे रेलमंत्री के समक्ष विचारपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत करके उन विसंगतियों को दूर कराया जा सके.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017

रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने जारी किया कब्स स्काउट शताब्दी वर्ष का डाक टिकट

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स संस्था के संरक्षक राजीव मिश्र, महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे की पहल पर गुरुवार, 30 मार्च को संचार भवन, नई दिल्ली के सभागार में कब्स स्काउट के शताब्दि वर्ष का डाक टिकट रेल राज्यमंत्री एवं संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा के हाथों विमोचन किया गया. ज्ञातव्य है कि पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राज्य मुख्यालय द्वारा 20 से 24 अक्टूबर, 2016 तक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, गोरखपुर में राष्ट्रीय मुख्यालय, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के सौजन्य से कब्स स्काउट्स के शताब्दि वर्ष में कब-बुलबुल उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था, जिसमें 27 राज्यों से 650 कब्स-बुलबुल ने भाग लिया था.

इस अवसर पर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे राजीव मिश्र ने बताया कि स्काउटिंग की शुरूआत वर्ष 1907 में एवं कबिंग की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई तथा वर्ष 2016 में कबिंग का शताब्दि वर्ष का उत्सव समारोह मनाने का सौभाग्य पूर्वोत्तर रेलवे राज्य को भारत

स्काउट्स एवं गाइड्स के तत्वावधान में करने का गौरव प्राप्त हुआ. वर्तमान समय में लगभग 57 लाख स्काउट्स-गाइड्स संस्था के सदस्य के रूप में जुड़े हैं तथा 16 क्षेत्रीय रेलवे राज्यों सहित 53 राज्यों में स्काउट्स-गाइड्स संगठन का संचालन किया जा रहा है. इस डाक टिकट रिलीज के अवसर पर डाक विभाग के तिलक डे, मेंबर (टेक्नोलॉजी), ए. एन. नंदा, मेंबर (एचआरडी), श्रीमती ऊषा चंद्रशेखर, मेंबर (आपरेशंस), श्रीमती मीना हांडा, मेंबर (प्लानिंग), वाशुमित्रा, मेंबर (पीएलआई), मेजर जनरल मीना दत्ता, एडिशनल डीजी (कोर्ड), एल. एन. शर्मा, चीफ पोस्ट मास्टर, दिल्ली क्षेत्र, नीरज कुमार, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (फिल), एन. के. अम्बिकेश, मुख्य राज्य आयुक्त एवं मुख्य संरक्षा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, श्रीमती सुरेखा श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सहित भारी संख्या में डाक विभाग तथा स्काउटस-गाइड्स संस्था के अधिकारी उपस्थित थे.

पूर्वोत्तर रेलवे राज्य की इस उपलब्धि पर संस्था की राज्य आयुक्त (गाइड) श्रीमती कविता अम्बिकेश, राज्य आयुक्त (स्काउट) बी. एस. दोहरे, राज्य सचिव डी. के. खरे, सहायक राज्य सचिव सी. पी. चौहान, रंजीत कुमार शर्मा, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), अनुज रंजन, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट), अशोक श्रीवास्तव, श्रीमती सविता पांडेय एवं श्रीमती कमलासिनी तिवारी सहित संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया है.

महिला सशक्तीकरण पर मेट्रो रेलवे द्वारा सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन

कोलकाता : मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा बुधवार, 29 मार्च को महिला सशक्तिकरण विषय पर एक सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मेट्रो रेलवे की महिला कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनके प्रोत्साहन के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर, खानपान की सलाह, योग प्रशिक्षण और विचार-विमर्श इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस मौके पर मेट्रो रेलवे के अपर महाप्रबंधक एवं मुख्य विद्युत अभियंता (सीईई) पंकज गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके महिला सशक्तिकरण सेमिनार का उदघाटन का उदघाटन किया. इस अवसर पर उनके साथ मेट्रो रेलवे के सभी विभाग प्रमुख एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. इस मौके पर आईसीआईसीआई प्रूडेन्सियल एसेट मैनेजमेंट की डिप्टी मैनेजर श्रीमती सुकला घोष ने वित्तीय प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण संबोधन किया और उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय प्रबंधन पर कई बारीक जानकारियां दीं. इसके अलावा योग विशेषज्ञ श्रीमती सरिता ठाकुर ने अपने योग कार्यक्रम में मेट्रो रेलवे की महिला कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण दिया.

रवि वल्लूरी ने पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार संभाला

गोरखपुर ब्यूरो : रवि वल्लूरी ने शुक्रवार, 17 मार्च को पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक (सीओएम) का कार्य-भार ग्रहण कर लिया. इसके पूर्व वह क्षेत्रीय महाप्रबंधक/क्रिस, सिकंदराबाद के पद पर कार्यरत थे. श्री वल्लूरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजेनस इकोनॉमिक्स विषय में मास्टर डिग्री, एमडीआई/गुड़गांव से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 1987 में भारतीय रेल यातायात सेवा के माध्यम से रेल सेवा की शुरुआत की थी. उनकी पहली नियुक्ति सहायक परिचालन प्रबंधक, उत्तर रेलवे, अंबाला कैंट के पद हुई.

श्री वल्लूरी ने वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, बीकानेर, उत्तर रेलवे, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, गुंटकल, दक्षिण मध्य रेलवे, उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/माल, उत्तर रेलवे, उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/कोचिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, उप मुख्य परिचालन प्रबंधक, एफओआईएस, दक्षिण मध्य रेलवे, उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, अपर मंडल रेल प्रबंधक, बंगलोर, मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, मुख्य संरक्षा अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे, मुख्य दावा अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे तथा रेलवे बोर्ड में निदेशक/मिलरेल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. इसके अलावा उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर रक्षा मंत्रालय में भी कार्य किया है. श्री वल्लूरी को सेनाध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है.

रवि वल्लूरी को एक योग्य प्रशासक माना जाता है, उन्हें ट्रेन परिचालन, रेलवे राजस्व, वाणिज्य प्रबंधन, यातायात नियोजन, संरक्षित ट्रेन परिचालन एवं सूचना तकनीकी का गहन अनुभव प्राप्त है. श्री वल्लूरी ने 'द मैटर ऑफ द माइंड' नामक पुस्तक भी लिखी है. उनके अनेक लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं. मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी श्री वल्लूरी रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों में समान रूप से लोकप्रिय हैं.

उ.म.रे. के रेलमार्गों पर ट्रैफिक कन्जेशन कम करने का प्रयास

इलाहाबाद ब्यूरो : उत्तर मध्य रेलवे के विभिन्न रेल मार्ग भारतीय रेल के व्यस्ततम रेलमार्गों में से एक हैं. इस क्षेत्रीय रेलवे में भारतीय रेल के मात्र 5 प्रतिशत रेल मार्ग पर 15 प्रतिशत रेल ट्रैफिक का परिवहन किया जा रहा है. इन रेलमार्गों पर ट्रैफिक कन्जेशन को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में विभिन्न रेल खंडों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, ताकि मुख्य मार्गों के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रेल मार्ग विकसित किए जा सकें एवं ट्रैक्शन चेंज (डीजल से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से डीजल इंजन में परिवर्तन) करने में लगने वाले समय को बचाने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल रेल यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके.

रेलमार्गों का विद्युतीकरण रेल परिचालन सहित पर्यावरण के लिए भी लाभदायी होगा

इसी उद्देश्य से हावड़ा-इलाहाबाद-मुंबई रेलमार्ग को पूर्णतः विद्युतीकृत करने के क्रम में छिवकी-मानिकपुर-सतना-जबलपुर-इटारसी रेलमार्ग का विद्युतीकरण का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है. इस खंड पर विद्युतीकरण पूरा होने के बाद हावड़ा-इलाहाबाद-मुंबई रेल रूट पूर्णतः विद्युतीकृत हो जाएगा. इस खंड का 92 रूट किमी. का छिवकी-मानिकपुर रेल खंड उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है. इस खंड पर भी कार्य प्रगति पर है. छिवकी-मानिकपुर खंड को 2.2 केवी से चार्ज किया जा चुका है एवं इस खंड के 37 किमी. मार्ग को 25 केवी से चार्ज कर दिया गया है. इस कार्य के पूरा होने से रेलगाड़ियों का इलाहाबाद में होने वाला ट्रैक्शन परिवर्तन में अपेक्षित समय बचेगा. इससे रेलगाड़ियों की मोबिलटी में सुधार होगा और इसके फलस्वरूप समय पालन में भी पर्याप्त सुधार अपेक्षित है. इसी क्रम में लगभग 282 किमी. लंबे झांसी-मानिकपुर रेलखंड पर भी रेल विद्युतीकरण स्वीकृत किया गया है, जिसके पूरा होने से झांसी-मानिकपुर के रास्ते छिवकी होते हुए इलाहाबाद का पूरा मार्ग भी विद्युतीकृत हो जाएगा.

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर मध्य रेलवे को मथुरा-अलवर 123 रूट किमी. रेलखंड, इलाहाबाद से प्रयाग के रास्ते वाराणसी के 207 रूट किमी. लंबे रेलमार्ग पर, खुर्जा से मेरठ 84 रूट किमी. के खंडों में विद्युतीकरण के कार्य पूरे किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त उत्तर मध्य रेलवे से संबंधित वाया इलाहाबाद सिटी-वाराणसी के रास्ते छपरा रेलमार्ग - 330 रूट किमी., ईदगाह-भरतपुर - 87 किमी., झांसी-भीमसेन रेलमार्ग, ललितपुर-उदयपुरा 32 किमी., मथुरा से कासगंज के रास्ते कल्यानपुर 338 किमी, चुनार-चोपन 100 किमी. रेलमार्गों पर भी रेल विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं. इन रेलमार्गों का विद्युतीकरण न सिर्फ रेल परिचालन की दृष्टि से लाभदायक होगा, बल्कि यह पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायी होगा.

निशा तिवारी ने संभाला उमरे के मुख्य कार्मिक अधिकारी का पदभार

इलाहाबाद : सुश्री निशा तिवारी ने मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के पद का पदभार ग्रहण कर लिया. सुश्री तिवारी 1984 बैच की वरिष्ठ आईआरपीएस अधिकारी हैं. सुश्री तिवारी ने सहायक कार्मिक अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के रूप में अपनी रेल सेवा सन 1987 में शुरू की थी. उत्तर मध्य रेलवे में ज्वाइन करने के पूर्व सुश्री तिवारी ने मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, आरडीएसओ, लखनऊ के पद पर भी कार्य किया है.

आजीवन सदस्यता 3000 रु.
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. 09869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुरेश त्रिपाठी द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक - सुरेश त्रिपाठी

● इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
● गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
● भुसावल : शेख सत्तार ☎ 09370615244
● रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 09427484069
● वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 09824016464

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017